महानिदेशालय
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
(गृह मंत्रालय)

केऔसुब में आरक्षक/ट्रेड्समेन की भर्ती 2017

अंतिम तारीख : 20.11.2017

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पे मेट्रिक्स के लेवल-3, 21,700 से 69,100/- में (पुराने वेतन बैड -1, 5200-20200 रु.+ग्रेड वेतन 2000 रु) तथा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को समय समय पर देय सामान्य तथा अनुमत्य भत्तों सहित नाई, मोची, बावर्ची, बढ़ई, इलेक्ट्रिशियन, राजमिस्त्री, माली, पेंटर, सफाईवाला, प्लम्बर और धोबी के ट्रेड में आरक्षक/ट्रेड्समेन के निम्नलिखित अस्थाई पदों को भरने के लिए **भारतीय पुरूष नागरिकों** से आनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उनकी नियुक्ति होने पर वे केऔसुब अधिनियम और नियम के साथ-साथ केन्द्रीय सिविल सेवा नियमावली तथा बल के अन्य सदस्यों के लिए समय-समय पर लागू अन्य अधिनियमों और नियमों द्वारा अधिशासित होंगे। नियुक्ति होने पर वे, केन्द्रीय सरकारी सेवाओं के नए भर्ती कर्मचारियों के लिए लागू 01.01.2004 से प्रभावी **'नवीन पुनर्गठित परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना'** के अनुसार पेशन लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।

2. कांस्टेबल/ट्रेड्समेन-2017 की क्षेत्र-वार/ट्रेड-वार/श्रेणी-वार रिक्तियां इस प्रकार है :-

पद का नाम	श्रेणी	पूर्वी सेक्टर	पश्चिमी सेक्टर	उत्तरी सेक्टर	दक्षिणी सेक्टर	उत्तरी पूर्वी सेक्टर	कुल योग
		रिक्ति	रिक्ति	रिक्ति	रिक्ति	रिक्ति	
आरक्षक/ नाई	सामान्य जाति	3	5	6	4	2	**20**
	अनुसूचित जाति	1	1	1	2	1	**6**
	अनु. जन जाति	0	0	0	0	0	**0**
	अ.पिछड़ा वर्ग	2	2	3	3	1	**11**
	कुल	**6**	**8**	**10**	**9**	**4**	**37**
आरक्षक/ मोची	सामान्य जाति	0	0	0	0	0	**0**
	अनुसूचित जाति	1	1	1	0	0	**3**
	अनु. जन जाति	0	1	1	1	1	**4**
	अन्य पिछड़ा वर्ग	0	0	0	0	1	**1**
	कुल	**1**	**2**	**2**	**1**	**2**	**8**
आरक्षक/ रसोईया	सामान्य जाति	16	18	26	17	13	**90**
	अनुसूचित जाति	4	6	8	6	3	**27**
	अनु. जन जाति	2	3	4	3	2	**14**
	अ.पिछड़ा वर्ग	9	11	15	11	8	**54**
	कुल	**31**	**38**	**53**	**37**	**26**	**185**
आरक्षक/ बढ़ई	सामान्य जाति	1	2	2	1	1	**7**
	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	**0**
	अनु. जन जाति	0	0	0	0	0	**0**
	अन्य पिछड़ा वर्ग	0	0	1	0	0	**1**
	कुल	**1**	**2**	**3**	**1**	**1**	**8**
आरक्षक/ इलेक्ट्रिशियन	सामान्य जाति	1	0	1	1	0	**3**
	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	**0**
	अनु. जन जाति	0	0	0	0	0	**0**
	अ.पिछड़ा वर्ग	0	0	0	0	0	**0**
	कुल	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**3**
आरक्षक/ राजमिस्त्री	सामान्य जाति	0	1	0	0	0	**1**
	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	**0**
	अनु. जन जाति	0	0	0	0	0	**0**
	अन्य पिछड़ा वर्ग	0	0	0	1	0	**1**
	कुल	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**2**
आरक्षक/ माली	सामान्य जाति	1	1	1	1	0	**4**
	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	**0**
	अनु. जन जाति	0	0	0	0	0	**0**
	अ.पिछड़ा वर्ग	0	0	0	0	0	**0**
	कुल	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**4**

आरक्षक/ पेंटर	सामान्य जाति	0	1	1	1	1	**4**
	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	**0**
	अनु. जन जाति	0	0	0	0	0	**0**
	अन्य पिछड़ा वर्ग	0	0	0	0	0	**0**
	कुल	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**
आरक्षक/ प्लम्बर	सामान्य जाति	1	0	1	0	0	**2**
	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	**0**
	अनु. जन जाति	0	0	0	0	0	**0**
	अ.पिछड़ा वर्ग	0	0	0	0	0	**0**
	कुल	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**2**
आरक्षक/ सफाईवाला	सामान्य जाति	4	15	11	10	4	**44**
	अनुसूचित जाति	2	3	6	4	1	**16**
	अनु. जन जाति	1	1	3	2	0	**7**
	अ.पिछड़ा वर्ग	3	7	8	8	1	**27**
	कुल	**10**	**26**	**28**	**24**	**6**	**94**
आरक्षक/ धोबी	सामान्य जाति	2	2	7	5	1	**17**
	अनुसूचित जाति	0	1	2	0	1	**4**
	अनु. जन जाति	1	1	1	0	0	**3**
	अन्य पिछड़ा वर्ग	1	2	3	1	0	**7**
	कुल	**4**	**6**	**13**	**6**	**2**	**31**
	कुल योग	**56**	**85**	**113**	**82**	**42**	**378**

भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियां :-

क्र0सं0	पद का नाम	रिक्तियों की कुल संख्या
1.	आरक्षक/नाई	4
2.	आरक्षक/मोची	1
3.	आरक्षक/बावर्ची	21
4.	आरक्षक/बढ़ई	1
5.	आरक्षक/सफाईवाला	10
6.	आरक्षक/धोबी	3
कुल		**40**

प्रयोग किए गए संक्षिप्त शब्द हैं : Gen-सामान्य, OBC-अन्य पिछड़ा वर्ग, SC-अनुसूचित जाति, ST-अनुसूचित जनजाति, ESM-भूतपूर्व सैनिक, CT- आरक्षक।

टिप्पणी :

(i) ऊपर दी गई रिक्तियां अस्थायी है* और प्रशासनिक कारणों से भर्ती प्रक्रिया में किसी भी समय/अवस्था में बढ़ अथवा घट सकती हैं। यदि रिक्तियों में कोई संशोधन है तो इसे बाद के चरणों में लिखित परीक्षा के आस-पास/ अथवा कौशल, चिकित्सीय परीक्षा चरण अथवा अंतिम चयन परिणाम की घोषणा से पहले और अधिसूचित किया जा सकता है।

(ii) उपरोक्त पदों की भर्ती के लिए रिहायशी स्तर पर प्रतिबंध रहेगा। राज्यों (संबंधित क्षेत्र के तहत राज्यों का नाम) से संबंध रखनेवाले उम्मीदवारों के नाम पर केवल संबंधित राज्य द्वारा यथा प्राधिकृत सक्षम राजस्व पदाधिकारियों द्वारा जारी वैध ''रिहायशी प्रमाण-पत्र'' जो उनके रिहायशी स्तर को सिद्ध कर सके, के प्रस्तुत करने पर ही उनको अपने संबंधित क्षेत्र में भर्ती पर विचार किया जाएगा।

(iii) किसी आरक्षित श्रेणी (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.) के उम्मीदवार किसी विशेष ट्रेड में रिक्तियों की अनुपलब्धता अथवा अन्य कारणों के कारण सामान्य श्रेणी से आवेदन कर सकते हैं बशर्ते वे सामान्य श्रेणी के लिए लागू नियम व शर्तो जैसे आयुसीमा, लंबाई आदि को पूरा करते हों।

(iv) उम्मीदवारों को आवेदन पत्र ऑनलाईन भरते समय आधार नंबर भरना चाहिए और अपने आवदेन पत्र के निर्धारित कॉलम में सही आधार नं. भरा जाना चाहिए। तथापि, यदि किसी उम्मीदवार के पास आधार नंबर नहीं है तो उसे फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे ड्राईविंग लाइसेंस, वोटर आई.डी. कार्ड, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा जारी पहचान-पत्र, आयकर पैन कार्ड का नंबर भरना चाहिए और उस पहचान पत्र को परीक्षा के प्रत्येक चरण के दौरान प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पीएसटी चरण के दौरान अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक डाटा तैयार किया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों की पहचान सत्यापित करने के लिए प्रयोग किया जाएगा।

(v) अभ्यर्थियों को उपयुक्त जांच/सुरक्षा के लिए पीईटी/पीएसटी, दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा के समय अपने सभी मूल शैक्षिक/अनुभव/जाति/रिहायशी प्रमाण-पत्रों और अन्य प्रमाण पत्रों को साथ लाना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी पात्रता के समर्थन में अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसकी अभ्यर्थिता सीधे ही निरस्त कर दी जाएगी और उसके रद्दीकरण के विरूद्ध अन्य दिन के लिए दस्तावेजों की जांच करने के लिए किसी अपील को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(vi) विज्ञापन अधिसूचना को जारी कर दिया गया है जिसमें संबंधित क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों की रिक्तियों को शामिल किया गया है। एक अभ्यर्थी को केवल अपने गृह राज्य और क्षेत्र जिससे वह संबंध रखता है की विज्ञापित रिक्तियों के अधीन ही आवेदन करना होगा।

(vii) केऔसुब कार्मिकों के बच्चे जो उनके गृह राज्य के अलावा अन्य राज्य में रह रहे हैं, भी आवेदन कर सकते हैं और उस भर्ती केन्द्र से आवेदन कर सकते हैं, जहां उनके पिता/माता तैनात हैं। तथापि, उनके आवेदन पर केवल उनके वास्तविक रिहायशी गृह राज्य/क्षेत्र की रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा। इस छूट का लाभ उठाने के लिए उन्हें इस अधिसूचना (**अनुलग्नक**-IX) में संलग्न प्रपत्र के अनुसार इकाई प्रभारी से जारी प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी। तथापि, वे उस राज्य/क्षेत्र से, जहां से वे अपीयर हो रहे हैं, यदि वे वास्तविक रूप से ऐसे राज्य/क्षेत्र में वास्तविक रूप से नहीं रह रहे हैं, से छूट प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को पात्रता/छूट क्षेत्र के तहत दिए गए उनके रिहायशी राज्य के अनुसार उनको यथा लागू समझी जाएगी।

(viii) अभ्यर्थी केवल एक पद (ट्रेड)के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी ट्रेड के लिए ट्रेड परीक्षा/लिखित परीक्षा आवेदन किए गए पद (ट्रेड) के लिए एक साथ आयोजित की जएगी।

(ix) यदि उपयुक्त भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध नहीं है तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियां संबंधित श्रेणियां गैर भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

(x) पद वर्दीधारी (कम्बेटाइज्ड) और पूर्णत: अस्थायी हैं परंतु इन्हें स्थायी किया जा सकता है।

(xi) नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भारतीय क्षेत्र और विदेश में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।

(xii) यदि कोई अभ्यर्थी अपने आवेदन-पत्र में गलत सूचना भरता है अथवा किसी अन्य व्यक्ति/प्रसिद्ध व्यक्ति अथवा वस्तु आदि की फोटो अथवा ब्लैंक फोटो आदि अपलोड करता है तो उनके विरूद्ध साइबर अपराध आईटी अधिनियम 2000 के तहत प्रावधान के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

(xiii) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी जिनका जाति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित तरीके से है, को निर्धारित प्रमाण पत्र के अनुसार स्वीकार किया जा सकता है और उम्मीदवार को संबंधित आरक्षित श्रेणी की रिक्ति के अधीन भर्ती प्रक्रिया में अनुमत किया जा सकता है :-

(क) उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम तथा उससे संबंधित स्थान/गांव/कस्बा स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

(ख) प्रमाण-पत्र को उपयुक्त/निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है।

(ग) जाति प्रमाण पत्र में भारत सरकार के प्राधिकरण/संकल्प को सही तरीके से उल्लिखित किया गया है जो यह सिद्ध कर सके कि आरक्षित श्रेणी के अधीन एक उम्मीदवार का दावा वास्तविक है।

(घ) अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र में उल्लिखित जाति केन्द्र सरकार की आरक्षित नीति के अनुसार संबंधित आरक्षित श्रेणी से संबंध रखता है और संबंधित क्षेत्र के लिए केन्द्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित समेकित सूची में उपलब्ध है।

(xiv) एक अभ्यर्थी जिसने अपनी श्रेणी को अ.जा./अ.ज.जा. के रूप में दर्शाते हुए भर्ती के लिए आवेदन किया है और पीएसटी के समय जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है, उनकी उम्मीदवारी अनुचित लाभ लेने के लिए झूठी सूचना देने के कारण सीधे ही निरस्त कर दी जाएगी।

(xv) सभी चयनित अभ्यर्थियों पर केन्द्रीय कर्मियों के लिए नई सहभागी पेंशन स्कीम जो कि 01.01.2004 से प्रभावी है, लागू होगी।

(xvi) भूतपूर्व सैनिक, 1984 के दंगों में मारे गए पीड़ितों और 2002 के गुजरात के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए पीड़ितों के बच्चे/आश्रित किसी भी क्षेत्र में भर्ती के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

03. भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी), दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षण शामिल होंगे। भर्ती की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है :-

(i) अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्रों को **केवल ऑनलाईन तरीके** से स्वीकार किया जाएगा ।

(ii) भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी), दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षण को केऔसुब द्वारा संबंधित क्षेत्रों के भर्ती केन्द्रों पर किया जाएगा।

(iii) शरीर के जाने पहचाने हिस्सों जैसे अग्रबाजू, केवल बांयी बाजू पर बने हुए टैटू सलामी में प्रयोग न होनेवाला हाथ अथवा हाथ का पिछला हिस्सा अनुमत है। आकार शरीर के विशिष्ट हिस्से (कोहनी अथवा हाथ) के 1/4 से कम होना चाहिए। इस विज्ञापन के सूचना के पैरा 5 घ (iii) को देखें।

(iv) सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों से 100/- रू. का आवेदन शुल्क लिया जाएगा। अ.जा., अ.ज.जा. और भूतपूर्व सैनिक जो कि आरक्षण के पात्र हैं, को शुल्क अदायगी से छूट प्राप्त है।

(v) अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी से संबंध रखनेवाले अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की जाती है। ऐसे अभ्यर्थी जो अपनी श्रेणी अ.जा. अथवा अ.ज.जा. दर्शाते हुए परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं उन्हें अपना स्तर दर्शाने के लिए एक प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र किसी भी प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा। किसी भी प्रपत्र में प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर पाना उनकी अभ्यर्थिता को पीईटी/पीएसटी चरण में ही निरस्त कर देगा।

(vi) अभ्यर्थियों को अधिक आवेदनों की वजह से वेबसाइट के क्रेश होने और तकनीकी कारणों से देरी के कारण उत्पन्न हुई स्थिति को टालने के लिए अंतिम तिथि तक इंतजार नहीं करना चाहिए।

(vii) भर्ती प्रक्रिया के दौरान आवेदकों को बुलावा पत्र/प्रवेश पत्र प्रत्येक चरण अर्थात् पीईटी/पीएसटी और दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा और विस्तृत चिकित्सा परीक्षण के लिए वेबसाइट https://cisfrectt.in पर अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा यदि आरंभिक चरण में आवेदन के द्वारा ऑनलाइन आवेदन में कोई कमियां यदि है, पाई जाती हैं तो आवेदक को एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा ताकि वे जहां तक संभव हो सके शीध्रता से उसे ठीक कर सकें।

(viii) केवल वे आवेदक जो पीईटी/पीएसटी, दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा पास कर लेते हैं, वे ओ.एम.आर आधारित/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

(ix) लिखित परीक्षा सह मैरिट सूची आदि का क्षेत्रवार, ट्रेडवार और श्रेणीवार परिणाम निकाला जाएगा।

(x) निर्विघ्न, पारदर्शी, सही और न्यूनतम मानवीय त्रुटि को सुनिश्चित करने के लिए पीईटी इवेंट का संचालन करने और पीएसटी के विवरण की गणना करने के लिए बल पर्याप्त उपायों और आधुनिक तौर तरीकों का पालन करेगा।

(xi) लिखित परीक्षा द्विभाषी अर्थात हिन्दी और अंग्रेजी में होगी।

(xii) लिखित परीक्षा का परिणाम वेबसाइट के माध्यम से घोषित किया जाएगा।

(xiii) लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए आवेदकों को उनके लिखित परीक्षा में निष्पादन पर आधारित विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के लिए संक्षिप्त सूचीबद्ध किया जाएगा। आवेदकों से पात्रता शर्तो में यथा निर्धारित उनको शारीरिक और चिकित्सा स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए विद्यमान चिकित्सीय दिशा-निर्देशों के अनुसरण में परीक्षण किया जाएगा। विस्तृत चिकित्सीय परीक्षण के दौरान 'अस्थायी अस्वस्थता' को अनुमत नही किया जाएगा। चिकित्सा परीक्षण की प्रक्रिया और संबंधित प्रावधानों पर विस्तृत दिशा-निर्देशों को अगले पैरा में विस्तार से दिया गया है।

(xiv) मेरिट सूची के निकलने के बाद अंतिम परिणाम को वेबसाइट अर्थात https://cisfrectt.in के माध्यम से घोषित किया जाएगा और क्षेत्र/ट्रेड/श्रेणीवार चयनित उम्मीदवारों की सूची केऔसुब वेबसाइट https://cisfrectt.in पर अपलोड की जाएगी।

4. पात्रता मानदंड :

i) सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए

क) (i) **आयु :** 18 से 23 वर्ष के बीच।

सभी ट्रेड के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के अभ्यर्थियों सहित आयु सीमा का निर्धारण ***01-08-2017*** से किया जाएगा।

(ii) **ऐसे सभी व्यक्तियों को 5 वर्ष तक अधिकतम आयू सीमा में छूट दी जाएगी जो सामान्यत: जम्मू-कश्मीर राज्य के निवासी 01 जनवरी 1980 से 31 दिसम्बर 1989 तक रहे हैं।** इस श्रेणी के अन्तर्गत छूट का दावा प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र जिसके अधिकार क्षेत्र में वह 01-01-1980 से 31-12-1989 तक जम्मू-कश्मीर के निवासी रह चुके हैं अथवा जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

(iii) **1984 के दंगों और गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए मृतकों के आश्रितों और बच्चों को उपरी आयु सीमा में 05 वर्ष तक की छूट।**

बच्चों से तात्पर्य (क) पुत्र (दत्तक पुत्र सहित) अथवा (ख) पुत्री (दत्तक पुत्री सहित)।

परिवार के आश्रित सदस्य से तात्पर्य (क) पत्नी अथवा (ख) बच्चे अथवा (ग) भाई अथवा बहन जहां दंगों में मारा गया व्यक्ति अविवाहित हो और दंगों में मारे जाने के दौरान वे उस पर पूरी तरह आश्रित हों, वे 5 वर्ष की आयू में छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे। सरकारी निदेशों के अनुसार अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग में छूट इसके अलावा है।

टिप्पणी : यह विज्ञापन कांस्टेबल/ट्रेड्समेन (पुरूष) की भर्ती से संबंधित है। अत: 1984 के दंगो तथा गुजरात के 2002 के सांप्रदायिक दंगो में मारे गए व्यक्तियों के पुरूष बच्चों तथा/पुरूष आश्रितों पर ही किसी भी क्षेत्र में भर्ती के लिए विचार किया जाएगा।

इस श्रेणी में अधिकतम आयु सीमा में छूट पाने के लिए आवेदकों को इस आशय का प्रमाण पत्र उस जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा जिसके क्षेत्र में पीड़ित मारा गया था।

(iv) उपरोक्त के अलावा, सरकारी आदेशों के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा. के संबंध में उपरी आयु सीमा में 05 वर्ष और अ.पि.व. के मामले में 03 वर्ष की और छूट होगी।

ii) **विभागीय अभ्यर्थियों के लिए :-**

केऔसुब के आरक्षक/ट्रेड्समैन जो अपना मौजूदा ट्रेड बदलना चाहते हैं, इस भर्ती के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। विभागीय अभ्यर्थियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में छूट (सामान्य श्रेणी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष तक, अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 45 वर्ष है) बशर्ते कि उन्होंने बल में 03 वर्ष की नियमित सेवा तथा संतोषजनक रूप से अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो, उनका दंडमुक्त रिकार्ड रहा हो और अपने संपूर्ण सेवा काल के दौरान उनकी न्यूनतम वार्षिक ग्रेडिंग 'औसत' से उपर रही हो।

iii) **केवल विभागीय कार्मिकों के बच्चों के लिए :-**

सेवारत केऔसुब कार्मिकों के बच्चे जो कि उनके साथ रह रहे हैं, वे आवेदन प्रस्तुत करते समय अपने गृह राज्य अथवा उस राज्य से जिसमें सेवारत व्यक्ति तैनात/नियुक्त है से आवेदन कर सकते हैं। इस छूट का लाभ उठाने के लिए, उन्हें इकाई प्रभारी से जारी प्रमाण पत्र की छाया प्रति अथवा रिहायशी प्रमाण पत्र की प्रति, जैसा मामला हो, प्रस्तुत करनी होगी।

ख) शैक्षणिक अर्हता

सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए

कुशल ट्रेड (अर्थात् नाई, मोची, रसोईया, बढ़ई, इलेक्ट्रिशियन, राजमिस्त्री, माली, पेंटर, पलंबर तथा धोबी) के लिए अभ्यर्थी ने मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से मेट्रिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षित कार्मिकों को वरियता दी जाएगी।

अकुशल ट्रेड (अर्थात सफाईवाला) के लिए अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

राज्य बोर्ड/केन्द्रीय बोर्ड के अलावा दिए जाने वाले शैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ **भारत सरकार की अधिसूचना** जिसमें वह शैक्षणिक योग्यता केन्द्र सरकार में रोजगार हेतु मेट्रिक/दसवीं कक्षा के समकक्ष घोषित की गई हो उस अधिसूचना की प्रति संलग्न करें।

ग)	शारीरिक मानक				
	श्रेणी			लम्बाई	सीना
	(i)	सामान्य/अनु.जा. व अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए (केवल नीचे (ii) में उल्लेखित को छोड़कर		170 सेमी.	05 सेमी के न्यून्तम फुलाव के साथ न्यनतम 80 सेमी अर्थात 80-85 सेमी।
	(ii)	निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले आवेदकों के लिए मानकों में छूट			
		(क)	गढ़वाली, कुमाउंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा तथा सिक्किम, नागालैण्ड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के लेह व लद्दाख क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थी परन्तु **परिशिष्ट-'VI'** के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर। उपर्युक्त मानक [पैरा 4 ग (ii)(क)] सभी श्रेणियों (अर्थात सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनु.जाति के लिए लागू है।	165 सेमी.	05 सेमी के न्यून्तम फुलाव के साथ न्यनतम 78 सेमी अर्थात 78-83 सेमी
		(ख)	अनुसूचित जन जातियों से संबंधित सभी अभ्यर्थी	162.5 सेमी.	05 सेमी के न्यून्तम फुलाव के साथ न्यनतम 76 सेमी अर्थात 76-81 सेमी

टिप्पणी :- भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को शारीरिक मानकों मे पूरी छूट है। तथापि, लंबाई और सीने का माप रिकार्ड हेतु किया जाएगा।

घ) चिकित्सा मानक

(i) **दृष्टि :** दोनों आंखो की न्यूनतम दृष्टता 6/6 और 6/9 बिना सही किए हुए अर्थात बिना चश्में के।

(ii) आवेदक के घुटनों में टकराव न हों, समतल पैर, वेरीकोस वेन अथवा आंखों में भेंगापन न हों, उच्च रंग-भेद दृष्टि होनी चाहिए वह अच्छी मानसिक व शारीरिक दशा में हो और किसी भी प्रकार की भौतिक कमी जिससे उसके कार्य निष्पादन में बाधा पहुँचती हो, उससे मुक्त होना चाहिए।

(iii) टैटू : इस सूचना में टैटू के संबंध में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :-

क. विषय वस्तु - एक धर्मनिरपेक्ष देश होने के नाते, हमारे देश के लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और इसलिए धार्मिक चिह्न अथवा आकृतियों को दर्शानेवाले टैटू और नाम आदि जिनका भारतीय सेना में प्रयोग किया जाता है, वे यहां भी अनुमत हैं।

ख. अवस्थिति :- बाजू के बाहरी हिस्से जैसे शरीर के पारम्परिक हिस्सों पर खुदे हुए टैटू, परंतु केवल बायीं अग्रभुजा जिसका प्रयोग सलामी देने में नहीं किया जाता है अथवा हाथ के पिछले हिस्से को अनुमत किया गया है।

ग. आकार :- टैटू का आकार शरीर के विशिष्ट भाग (कोहनी अथवा हाथ) के 1/4 हिस्से से कम होना चाहिए।

ड़) निवास प्रमाण पत्र

(i) अभ्यर्थियों को ऐसे राज्य से संबंधित निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है जिस क्षेत्र के अंतर्गत वे आवेदन कर रहें है। जम्मू-कश्मीर में बसे पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों को निवास प्रमाण पत्र देने से छूट प्राप्त है। वे ग्राम सरपंच/नम्बरदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे जिसके साथ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए मतदाता सूची में आवेदक के नाम को दर्शाने वाली मतदाता सूची की प्रति संलग्न करेंगे।

(ii) 1984 के दंगों में तथा गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों में **मारे गए** व्यक्तियों के आश्रित तथा बच्चों को निवास प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, **वे अपने निवास स्थान पर विचार किए बिना किसी भी क्षेत्र में आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें उस जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जहां वह व्यक्ति मारा गया है।**

5. भूतपूर्व सैनिकों के लिए पात्रता के मानदंड

(1) **''भूतपूर्व सैनिक''** से तात्पर्य उस व्यक्ति से है

i) 'जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना तथा वायु सेना के किसी भी रैंक (चाहे वर्दीधारी अथवा गैर वर्दीधारी) में सेवा की हो।

(क) जो उक्त सेवा से पेंशन प्राप्त होने पर नियोक्ता द्वारा ऐसी सेवा से कार्यभार मुक्त अथवा डिस्चार्ज कर दिया गया हो, अथवा

(ख) जो रक्षा सेवा पर आरोपणीय चिकित्सा आधार पर अथवा ऐसी परिस्थितियां जो उसके नियंत्रण से बाहर हों के कारण सेवा मुक्त हुए हैं और जिन्हें चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेन्शन दी गई हों, अथवा

(ग) जो स्थापना में कमी होने के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किये गए हो।

अथवा

ii) जो ऐसी सेवा से नियुक्ति की एक निश्चित अवधि पूरी करने के बाद उनके स्वयं के अनुरोध करने के सिवाय ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किए गए हों अथवा कदाचार या अकुशलता के कारण बर्खास्त अथवा सेवामुक्त किए गए हों और उनको उपदान दिया गया हो तथा इसके अंतर्गत क्षेत्रीय सेना के कार्मिक नामत: निरन्तर सेवा वाले अथवा अनिरंतर अर्हक सेवा वाले पेंशनधारक भी शामिल हैं।

अथवा

iii) ''सेना डाक सेवा'' के कार्मिक जो नियमित सेना का हिस्सा हैं तथा जो पेंशन सहित अपनी मूल सेवा में बिना प्रत्यावर्तन के सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा रक्षा सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर सेना डाक सेवा से सेवामुक्त हुए हों अथवा विकृति होने पर अथवा ऐसी परिस्थितियों जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण तथा जिन्हें चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेंशन दी गई हो।

अथवा

iv) ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल 1987 से पहले 6 माह से अधिक की अवधि के लिए ''सेना डाक सेवा'' में प्रतिनियुक्ति पर रहे हों।

अथवा

v) ''क्षेत्रीय सेना'' कार्मिकों सहित सशस्त्र बलों के शौर्य पुरस्कार विजेता।

अथवा

vi) चिकित्सा आधार पर बाहर किए गए अथवा सेवामुक्त तथा चिकित्सा अशक्तता पेंशन प्राप्त।

(2) **सेवा में व्यवधान :** **पूर्वोत्तर क्षेत्र के अभ्यर्थियों सहित सभी अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख अर्थात 01.08.2017** की स्थिति के अनुसार थल सेना/नौ सेना/वायु सेना से सेवा मुक्त होने की तारीख से 3 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

आयु : उन्हें अपनी वास्तविक आयु से कम की जाने वाली थल सेना सेवा की अवधि को घटाने की अनुमति होगी और परिणामी आयु इन पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयुसीमा से 3 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अ.जा./अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपरी आयुसीमा में आगे 5 वर्षों की छूट प्रदान की जाएगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के अभ्यर्थियों सहित आयु सीमा का निर्धारण आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात **01.08.2017 से किया जाएगा।**

(3) **चिकित्सा श्रेणी :** सेवा मुक्ति के समय 'ए' (ए.वाई.ई.) अथवा ''शेप-1''। उन्हें केऔसुब में आरक्षक/ट्रेड्समैन के पद के लिए सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उन्हीं चिकित्सीय मानकों को धारण करना होगा।

(4) **सेवा मुक्ति के समय चरित्र :** आदर्श/बहुत बढ़िया

(5) **शैक्षणिक योग्यता :** मैट्रिक अथवा समतुल्य अथवा आर्मी प्रथम श्रेणी अथवा वायु सेना अथवा नेवी के समतुल्य प्रथम श्रेणी।

अन्य पात्रता शर्ते वही रहेंगी जो पात्रता मानदंड में यथा उल्लिखित अन्यों के लिए लागू है।

टिप्पणी-I:	भूतपूर्व सैनिक अपने पुन: रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिकों को दिए गए आरक्षण का लाभ उठाने के बाद जो पहले हो, केन्द्र सरकार के तहत नियमित आधार पर सिविल में समूह 'ग' और 'घ' में रोजगार प्राप्त कर चुके हैं के शुल्क में छूट अथवा भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत आरक्षण के लाभों का दावा करने के पात्र नहीं होंगे। तथापि, वे उम्र में छूट के हकदार होंगे।
टिप्पणी – II	**भूतपर्वू सैनिकों के पुत्रों, पुत्रियों और आश्रितों के लिए आयु में छुट लागू नहीं है।**

टिप्पणी-III :	केऔसुब में भर्ती के समय भूतपर्वू सैनिकों से कोई दौड़/शारीरिक दक्षता संबंधी परीक्षा नहीं ली जाएगी। तथापि, भूतपूर्व सैनिकों को पीईटी/पीएसटी के समय मौजूद रहना होगा ताकि अपने माप, दस्तावेजीकरण को रिकार्ड करवा सकें और अपने शैक्षिक प्रमाण-पत्रों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत कर सकें। उन्हें ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सीय जांच में भी उपस्थित रहना होगा। भूतपूर्व सैनिकों को चिकित्सीय परीक्षण में पास होना पड़ेगा।

स्पष्टीकरण 1:

1. **बच्चों से तात्पर्य है-**

क. पुत्र (गोद लिए हुए पुत्र सहित) अथवा

ख. पुत्री (गोद ली हुई पुत्री सहित)

2. आश्रित परिवारजनों से तात्पर्य है :-

क. पत्नी अथवा पति

ख. बच्चे, अथवा

ग. अविवाहित पीड़ित व्यक्ति के मामले में जो उस पीड़ित पर पूर्णत: निर्भर था जो दंगों के दौरान मारा गया, के भाई अथवा बहन लाभ के पात्र होंगे। पैरा 4 (क) (i), (ii), (iii) और (iv) में यथा उल्लिखित अ.जा./अ.ज.जा. और अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में उपरी आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को संबंधित जिलाधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें पीड़ित व्यक्ति मारा गया था।

6. अपात्रता

i) ऐसा कोई व्यक्ति

(क) जिसने उस व्यक्ति के साथ विवाह किया हो अथवा विवाह के लिए अनुबंध किया हो जिसका पति/पत्नी जीवित है।

अथवा

(ख) जिसका पति/पत्नी जीवित है किसी अन्य से विवाह किया हो अथवा विवाह के लिए अनुबंध किया है फोर्स में नियुक्ति के लिए पात्र होगा बशर्ते कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि यह विवाह ऐसे व्यक्ति तथा अन्य पार्टी के लिए लागू निजी कानून के तहत अनुमत्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार है तो उस व्यक्ति को इस नियम से छूट दी जा सकती है।

ii) सरकारी सेवा से बर्खास्त होने पर।

iii) परिवीक्षा अवधि के दौरान केऔसुब की सेवा से निष्कासित होने पर।

07. प्रमाणन की प्रक्रिया और प्रमाण-पत्रों का प्रपत्र :

(i) वे अभ्यर्थी जो आरक्षित रिक्तियों के अधीन आवेदन करना चाहते हैं अथवा जो आयु में छूट चाहते हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करना चाहिए। अन्यथा अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ भूतपूर्व सैनिक के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और दावेदारी संबंधी उनके आवेदन पत्रों पर सामान्य श्रेणी के तहत विचार किया जाएगा बशर्ते वे सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित अपेक्षित पात्रता को पूरा करते हों। प्रमाण-पत्रों के प्रपत्रों को संलग्न किया गया है। किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त प्रमाण-पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अ.पि.व. स्तर का दावा करनेवाले अभ्यर्थियों को नोट करना चाहिए कि अ.पि.व. प्रमाण पत्रों को आवेदन की समाप्ति की तिथि अर्थात् 20/11/17 से तीन वर्ष से भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए। विभाग ने निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र प्राप्ति की समाप्ति की तिथि के बाद जारी परंतु अपने दस्तावेज सत्यापन की तिथि को या पहले जारी जो कि अ.पि.व. से संबंध रखने का वैध प्रमाण होता है, अ.प.व. प्रमाण-पत्र स्वीकार करने का निर्णय लिया है।

(ii) अभ्यर्थियों को उनके संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश में भर्ती हेतु उनकी रिहायशी स्थिति सिद्ध करने के लिए संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए वैध रिहायशी प्रमाण पत्र दस्तावेज के सत्यापन के समय प्रस्तुत करने पर विचार किया जाएगा। ऐसा न कर पाने पर उनकी उम्मीदवारी सीधे ही निरस्त कर दी जाएगी।

(iii) अभ्यर्थी के रिहायशी राज्य के अलावा अन्य राज्य से जारी जाति प्रमाण-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। दोनों प्रमाण-पत्र (जाति और रिहायशी) उसी राज्य द्वारा जारी किए जाने चाहिए। यदि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला जाति प्रमाण-पत्र रिहायशी राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य से जारी किया गया हो तो ऐसे उम्मीदवार को सामान्य श्रेणी का माना जाएगा।

(iv) चूकि आसाम राज्य रिहायशी प्रमाण-पत्र/पीआरसी जारी नहीं करता है, आसाम राज्य से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों को उन्हें प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, उनका चयन संबंधित जिला प्राधिकारियों से उनकी आवासीय स्थिति के सत्यापन के अधीन होगा।

(v) पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी जो कि जम्मू एवं कश्मीर में रह रहे हैं परंतु जिन्हे राज्य के नागरिक का दर्जा नहीं दिया गया है, को जम्मू एवं कश्मीर राज्य के नामित प्राधिकारी से रिहायशी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की शर्त के बगैर भर्ती किया जाएगा। अभ्यर्थी के गांव के सरपंच/नंबरदार द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण पत्र कि व्यक्ति पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थी श्रेणी से संबंध रखता है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (चूंकि वे राज्य विधान सभा में वोट देने का अधिकार नहीं रखते हैं) में चुनाव के लिए मतदाता सूची में अभ्यर्थी का नाम दर्शानेवाली मतदाता सूची की एक प्रति के साथ को भर्ती के लिए उसके पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी के प्रमाण के रूप मे माना जाएगा।

टिप्पणी : अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./भू.सै. का झूठा दावा करते है तो उन्हें परीक्षा में बैठने से स्थायी रूप से बाहर कर दिया जाएगा।

8. परीक्षा शुल्क : उपरोक्त पदों के लिए आवेदन करनेवाले सामान्य/अपिव श्रेणी से संबंध रखनेवाले पुरूष अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क के रूप में 100/-रू. (सौ रूपए) निम्नलिखित तरीके से जमा करवाने होंगे। यहां यह भी उल्लेख किया जाता है कि यदि एक अ.जा./अ.ज.जा. का अभ्यर्थी अपने राज्य में संबंधित ट्रेड में रिक्तियों की उपलब्धता न होने की वजह से अथवा अन्य किसी कारण से सामान्य श्रेणी से आवेदन करता है तो उसे भी शुल्क की अदायगी से छूट प्रदान की जाएगी :-

(1) एसबीआई चालान के माध्यम से (एसबीआई के अलावा अन्य बैंक से चालान स्वीकार नहीं किए जाएंगे) एसबीआई चालान के माध्यम से शुल्क की अदायगी को केवल 22/11/2017 तक स्वीकार किया जाएगा।

(2) किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग के माध्यम से।

(3) किसी भी बैंक का क्रेडिट/डेबिट कार्ड।

ऑनलाइन आवेदन पत्र में फीस माफी संबंधी विवरण भी उल्लिखित किए गए हैं।

9. भुगतान का तरीका :

(i) परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन तरीके से किया जाएगा।

(ii) परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के भाग-2 में भुगतान के तरीके के कॉलम पर क्लिक करना चाहिए और फिर उसे निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार वेबसाईट पर भुगतान से लिंक किया जाएगा।

(iii) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा और पूरी प्रक्रिया/दिशा निर्देश वेबसाईट अर्थात https://cisfrectt.in पर उपलब्ध है।

(iv) आरक्षण के लिए पात्र अजा/अजजा और भू.सै. श्रेणी से संबंध रखनेवाले अभ्यर्थियों को शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की जाती है।

टिप्पणी-*I* : एक बार भुगतान किए गए शुल्क की वापसी किसी भी परिस्थिति में नहीं की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सीधे ही वेबसाईट https://cisfrectt.in पर जाएं और आवेदन पत्र भरें। आवेदन पत्र भरने और शुल्क के भुगतान के लिए केऔसुब द्वारा अन्य कोई दूसरा लिंक नहीं बनाया गया है। अभ्यर्थी शुल्क के भुगतान के कारण हुई क्षति के लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे यदि वे दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करते हैं जिससे कि आवेदन पत्र पूरा नहीं भरा गया हो अथवा किसी अन्य लिंक के माध्यम से शुल्क का भुगतान किया गया हो अथवा एक पंजीकरण के अधीन कई भुगतान कर दिए गए हों। आवेदन पत्र भरने से पहले अभ्यर्थियों को स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया के दौरान तकनीकी गलती से बचने के लिए अपेक्षित इंटरनेट की स्पीड उपलब्ध है।

टिप्पणी- *II* : उपरोक्त में दर्शाए गए तरीको के अलावा भुगतान किए गए परीक्षा शुल्क को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी-*III* : अभ्यर्थियों से (छूट प्राप्त श्रेणी के अलावा) अपेक्षित शुल्क के प्राप्त नहीं होने के मामले में उनके आवेदन पत्र को सीधे ही निरस्त कर दिया जाएगा।

टिप्पणी- IV: बैंक के लिए यथालागू शुल्क के अलावा टैरिफ/करों के चार्ज स्वयं अभ्यर्थी द्वारा वहन किए जाएंगे।

टिप्पणी-V : शुल्क का भुगतान ऑनलाइन तरीके से इंटरनेट बैंकिंग अथवा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड (बैंक के लिए लागू सेवा शुल्क केवल अभ्यर्थी द्वारा स्वयं वहन किए जाएंगे) का प्रयोग करते हुए अथवा एसबीआई की किसी भी शाखा में एसबीआई चालान के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। यदि एसबीआई की शाखा में चालान के माध्यम से शुल्क का भुगतान किया गया है तो चालान की प्रति अभ्यर्थी द्वारा पीएसटी के समय प्रस्तत की जानी चाहिए। एसबीआई चालान के माध्यम से शुल्क का भुगतान केवल 22/11/2017 तक स्वीकार किया जाएगा और तत्पश्चात सेवाओं को बंद कर दिया जाएगा ।

टिप्पणी-*VI* : किसी भी मामले में कोई राशि वापस नहीं की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भुगतान करते समय सावधान रहें और एक पंजीकरण के अधीन कई भुगतान करने से बचें चूंकि किए गए भुगतान वापसी योग्य नहीं होते हैं। यदि वे ऐसे भुगतान कर रहे हैं तो ऐसा वे अपने स्वयं के जोखिम/हानि पर करेंगे।

टिप्पणी-VII : दिनांक 14/10/2017 अर्थात ऑनलाइन आवेदन पत्र के शुरू होने की तिथि से पहले किए गए शुल्क भुगतान को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

10.	**आवेदन कैसे करें**	
	आवेदन पत्र को नीचे उल्लिखित संबंधित क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक (ARCs) पर ऑनलाइन तरीके के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना है:-	
क.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम जिसमें अभ्यर्थी निवास करता है।**	**अधिकारी का नाम, जिसे आवेदन पत्र भेजा जाना चाहिए।**
(1)	(2)	(3)
(1)	बिहार, झारखंड, उड़ीसा	उप महानिरीक्षक/केऔसुब पूर्वी क्षेत्र मुख्यालय, बोरिंग रोड, पाटलिपुत्र, पटना - 800013 (बिहार)
(2)	छत्तीसगढ़, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र	उप महानिरीक्षक/केऔसुब पश्चिमी क्षेत्र-1 मुख्यालय, केऔसुब कॉम्पलेक्स, सेक्टर-35, खारघर, नवीं मुम्बई, (महाराष्ट्र) - 410210
(3)	चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश	उप महानिरीक्षक/केऔसुब केऔसुब उत्तरी क्षेत्र-1 मुख्यालय, केऔसुब उत्तरी क्षेत्र-I मुख्यालय, महिपालपुर (बाईपास रोड) नई दिल्ली 110037, (दिल्ली)
(4)	आन्ध्रप्रदेश, केरल, कर्नाटक, लक्षदीप, पुद्दुचेरी, तमिलनाडू, तेलांगाना	उप महानिरीक्षक/केऔसुब केऔसुब दक्षिण क्षेत्र मुख्यालय डी ब्लॉक, राजाजी भवन, बसंत नगर, चेन्नई - 600090 (तमिलनाडू)
(5)	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरूणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा, पं. बंगाल	उप महानिरीक्षक/केऔसुब पूर्वोत्तर क्षेत्र मुख्यालय केऔसुब प्रांगण 533, केऔसुब ईस्ट कोलकाता टाउनशिप कस्बा कोलकाता -700107 (पं.बं.)

टिप्पणी :- अभ्यर्थियों को केवल अपने निवास राज्य के अधीन यथा उल्लिखित के अनुसार अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत करने चाहिए ।
निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त हुए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

i) ऑनलाइन आवेदन पत्रों को प्रस्तुत किए जाने की सुविधा वेबसाइट पर उपलब्ध है। उपरोक्त वेबसाइट पर आवेदन पत्रों पर ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया भी उपलब्ध है। तथापि उसे अनुलग्नक -। में शामिल किया गया है।

ii) ऑनलाइन आवेदन पत्रों को 20/11/2017 अर्थात ऑनलाइन तरीके से भरने की अंतिम तिथि तक पहुंच जाने चाहिए।

iii) ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी केऔसुब की वेबसाइट https://cisfrectt.in पर जाएं तथा आरक्षक (ट्रेड्समैन) के लिए भर्ती लिंक पर **"Apply"** पर जाएं।

iv) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों को कोई भी प्रविष्टि भरने अथवा विकल्पों का चयन करने से पहले दिशा-निर्देशों को सावधानी से पढ़ना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी के पास ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए लिंक पर उपलब्ध विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार अपलोड करने के लिए अपनी हाल की पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैन की हुई फोटो (डिजिटल) होनी चाहिए।

v) ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात, अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से प्रस्तुत किए हुए ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना चाहिए और उसे अपने पास रखना चाहिए ।

vi) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी केऔसुब के किसी भी कार्यालय में डाक द्वारा अथवा स्वयं के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन पत्रों के प्रिंट आउट अथवा अन्य किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्रों के प्रिंट आउट को अपने पात्रता के समर्थन में स्व प्रमाणित दस्तावेजों के साथ जब उनकी आवश्यकता हो, उन्हें प्रस्तुत करना होगा।

vii) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल एक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें। तथापि, यदि किसी कारणवश वह कई आवेदन पत्र भर देता है, तब उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 'उच्च आवेदन संख्या' सभी तरीके से पूर्ण हैं जिसमें शुल्क/सूचना और बैंक प्रभार भी शामिल है। वे आवेदक जो कई ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर देते हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि केवल वे ऑनलाइन आवेदन पत्र जिनमें 'उच्च आवेदन संख्या' है, उनपर केऔसुब द्वारा विचार किया जाएगा और एक आवेदन पत्र के अधीन भुगतान किए गए शुल्क/सूचना और बैंक प्रभारों को किसी अन्य आवेदन संख्या के अधीन समायोजित नहीं किया जाएगा।

viii) एक बार प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्रों में संशोधन नहीं किया जा सकता है, इसलिए ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पहले सही विवरणों को भरने में अत्यधिक सावधानी रखनी चाहिए।

ix) अभ्यर्थियों को अपने व्यक्तिगत ई-मेल आई.डी. और मोबाइल नंबर को इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रखना चाहिए। इसलिए अभ्यर्थियों को अपने हित में किसी अन्य का ई-मेल आई.डी./मोबाईल नंबर नहीं देना चाहिए।

x) अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन करें और इंटरनेट की संभावित बिच्छेदता से बचने के लिए अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना चाहिए।

xi) आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। शुल्क की ससीद को संभाल कर रखा जाना चाहिए और पीईटी/पीएसटी, दस्तावेजीकरण और ट्रड परीक्षा के समय प्रस्तुत करना चाहिए।

(अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंध रखनेवाले इच्छुक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित प्रपत्र में घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए)

उद्‌घोषणा

मै .... पुत्र/पुत्री श्री .... निवासी गॉव/नगर/शहर .... जिला ....राज्य ....एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं ....समुदाय से संबंधित हूं जो कि भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय के कार्यालय आदेश संख्या 36012/22/93 ईएसटीटी (एसटीटी) दिनांक 8/09/93 के अनुसार जिसकी पहचान एक पिछड़े वर्ग के रूप में सरकारी सेवा में आरक्षण देने के उद्देश्य से की गई है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं उपर संदर्भित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 08/09/1993 यथासंशोधित के कॉलम 3 में दर्शाये गए व्यक्तियों, वर्गो, (क्रीमीलेयर) से संबंधित नहीं हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर

11. भर्ती के लिए प्रवेश :

i) वे सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञापन की भर्ती प्रक्रिया में अंतिम तिथि पर आवेदन करते हैं और जो अनंतिम रूप से पात्र हैं, उन्हें अनुक्रमांक प्रदान किए जाएंगे जो उन्हें पीईटी/पीएसटी, दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा के लिए

बुलाने पर प्रदान किए जाएंगे।

ii) पीईटी/पीएसटी, दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा और विस्तृत चिकित्सीय जांच के लिए बुलावा पत्र/प्रवेश पत्र वेबसाईट पर उपलब्ध होंगे और उन्हें https://cisfrectt.in से डाउनलोड किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त दस्तावेजों को केवल वेबसाइट के माध्यम से ही डाउनलोड करें। किसी अन्य वेबसाइट पर कोई अन्य लिंक उपलब्ध नहीं होगा।

iii) अभ्यर्थियों को केऔसुब से पत्राचार करते समय अपने अनुक्रमांक, नाम, जन्मतिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना चाहिए। अपेक्षित विवरणों को प्रस्तुत किए बगैर अभ्यर्थियों द्वारा किए गए पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

iv) वेबसाइट से पीईटी/पीएसटी और दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षा आदि के बुलावा पत्र/प्रवेश पत्र डाउनलोडन करने में असफल होने पर, अभ्यर्थियों को पीईटी/पीएसटी, दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा अथवा विस्तृत चिकित्सीय जांच परीक्षा से कम से कम एक सप्ताह पहले संबंधित भर्ती केन्द्रों से संपर्क करना चाहिए। पीईटी/पीएसटी, दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सीय जांच परीक्षा का अनंतिम कार्यक्रम केऔसुब की वेबसाइट पर पीईटी/पीएसटी, दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा और विस्तृत चिकित्सीय जांच परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र प्राप्त न होने के मामले में संपर्क किए जाने वाले अधिकारियों की सूची के साथ वेबसाइट पर प्रस्तुत किया जाएगा।

v) भर्ती की समग्र प्रक्रिया के लिए वेबसाइट https://cisfrectt.in ही मुख्य वेबसाइट रहेगी। प्रत्येक दिन के लिए अभ्यर्थियों के केन्द्रवार अनुक्रमांकों के ब्लॉक को पीईटी/पीएसटी, दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सीय जांच परीक्षा से कम से कम एक सप्ताह पहले वेबसाइट https://cisfrectt.in पर उपलब्ध कराया जाएगा।

टिप्पणी : अभ्यर्थियों को अपनी पहचान का फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे ड्राईविंग लाईसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र, आयकर पैन कार्ड को मूल रूप में पीईटी/पीएसटी, दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा केन्द्र पर और चिकित्सा जांच/पुनरीक्षा चिकित्सा जांच स्थल पर लाना होगा। ऐसा न कर पाने की स्थिति में उन्हें किसी भी कीमत पर परीक्षा/भर्ती में बैठने नहीं दिया जाएगा।

12. लिखित परीक्षा (ओएमआर आधारित) 100 अंक

वे अभ्यर्थी जो पीईटी/पीएसटी, दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा पास कर लेते हैं उन्हें लिखित परीक्षा देनी होगी।

लिखित परीक्षा में 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे जो ओएमआर आधारित वस्तुनिष्ट प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिनका उत्तर नीली/काले वॉल पेन का प्रयोग करते हुए देना होगा।

प्रश्न पत्र को द्विभाषी अर्थात हिन्दी और अंग्रेजी में अभ्यर्थियों की सामान्य जागरूकता/सामान्य ज्ञान, प्रारंभिक गणित की जानकारी, विश्लेषण संबंधी अभिरूचि और प्रारूपों को समझने और उनमें अंतर करने की दक्षता और अभ्यर्थियों की हिन्दी/अंग्रेजी में मूल जानकारी को जांचने के लिए सेट किया जाएगा। प्रश्न पत्रों का जवाब हिन्दी अथवा अंग्रेजी में दिया जा सकता है। लिखित परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी।

लिखित परीक्षा की ओएमआर उत्तरशीट को इलेक्ट्रोनिक मशीन में प्रक्रियाबद्ध/स्कैन किया जाएगा। अनुक्रमांक, नाम, प्रश्न बुकलेट, प्रश्नपत्र सीरिज की संख्या से संबंधित किसी भी गलत प्रविष्टि ओएमआर शीट को अवैध कर देगी और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। संबंधित अभ्यर्थी अपनी ऐसी गलतियों के लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।

अभ्यर्थियों को उत्तरशीट की कार्बन प्रति लेने की अनुमति होगी। लिखित परीक्षा के पूरा होने के पश्चात प्रश्नपत्र की उत्तर कुंजी केऔसुब की वेबसाइट https://cisfrectt.in पर अपलोड की जाएगी।

टिप्पणी ।: लिखित परीक्षा केन्द्र को बदलने की अनुमति किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जाएगी।

13. भर्ती/चयन प्रकिया

1. शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी), शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी), दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा पैरा 15(ii), (iii), (iv) और (v) में यथा उल्लिखित।

2. ट्रेड परीक्षा (प्रेक्टिकल आकलन) दो तरीकों (वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ) से किया जाएगा जिसे पास किया जाना आवश्यक होगा।

3. **लिखित परीक्षा :** भर्ती प्रक्रिया के प्रथम चरण के पूरा होने के पश्चात लिखित परीक्षा की तिथि निर्धारित की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के कार्यक्रम और परीक्षा के संचालन के संबंध में नवीनतम जानकारी देने के लिए नियमित रूप से वेबसाइट https://cisfrectt.in पर जाएं। प्रवेश पत्र को तदनुसार अपलोड किया जाएगा।

4. चयन का तरीका/अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन।
5. चिकित्सा परीक्षा और पुनरीक्षा चिकित्सा परीक्षा।

टिप्पणी 1 : भर्ती के प्रत्येक इवेंट के लिए भर्ती का कार्यक्रम अस्थायी है।

2 : भर्ती प्रक्रिया का चरणवार अस्थायी कार्यक्रम केऔसुब की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सही कार्यक्रम जानने के लिए केऔसुब की वेबसाइट https://cisfrectt.in पर सीधे ही जाएं।

14. चयन का तरीका :

भर्ती के लिए आवेदन कर रहे और प्रत्यक्षत: पात्र सभी अभ्यर्थियों को हाईटबार जांच, शारीरिक दक्षता जांच, शारीरिक मानक जांच और दस्तावेजीकरण के लिए उपस्थित रहने के लिए कहा जाएगा। उनकी पात्रता की विस्तृत जांच पीईटी/पीएसटी और दस्तावेजीकरण से पहले नहीं की जाएगी। इसलिए यह अभ्यर्थियों की जिम्मेवारी होगी कि वे पीईटी/पीएसटी और दस्तावेजीकरण में शामिल होने से पहले इस सूचना में यथानिर्धारित पात्रता की जांच कर लें।

I) **हाईटबार जांच (एचबीटी)** वे अभ्यर्थी जो हाईटबार जांच में पात्र पाए जाएंगे उन्हें पीईटी से गुजरना होगा।

II) **शारीरिक दक्षता जांच** : सुचारू, पारदर्शी, सही और न्यूनतम मानवीय त्रुटि को सुनिश्चित करने के लिए, बल पीईटी इवेंट को संपन्न करवाने के लिए उपयुक्त उपायों और आधुनिक तरीकों को इस्तेमाल करने के अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा।

क) हाईट बार जांच और 1.6 किमी दौड़ (अर्हक), आरक्षक/ट्रेड्समैन पद के लिए - केवल पुरूष अभ्यर्थियों के लिए।

शुरूआत में ही, अभ्यर्थियों को हाईटबार जांच करवाने के लिए कहा जाएगा और इस प्रकार जिन अभ्यर्थियों का कद कम होगा उन्हें परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा और भर्ती के अगले चरणों में भाग लेने को अनुमत नहीं किया जाएगा और उन्हें उसी स्थल पर बाहर निकालने का कारण बताते हुए अस्वीकृति स्लिप प्रदान की जाएगी। वे अभ्यर्थी जो हाईटबार जांच को पास कर लेंगे उन्हें 6 मिनट 30 सेकेंड में 1.6 किमी की दौड़ पूरी करनी होगी।

टिप्पणी :

1. वे अभ्यर्थी जो दौड़ को पूरा नहीं कर पाएंगे उन्हें परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा और भर्ती के अगले चरणों में भाग लेने को अनुमत नहीं किया जाएगा और उन्हें उसी स्थल पर बाहर निकालने का कारण बताते हुए अस्वीकृति स्लिप प्रदान की जाएगी।

2. यह जांच अर्हक प्रकार की होगी। वे अभ्यर्थी जो दौड़ को पूरा नहीं कर पाएंगे उन्हें पीठासीन अधिकारी द्वारा अस्वीकृति स्लिप देते हुए भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा।

3. जैसा कि उपर उल्लिखित किया गया है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए पीईटी नहीं लिया जाएगा।

III) **शारीरिक दक्षता जांच :**

i) वे अभ्यर्थी जो हाईटबार जांच/पीईटी में पास हो जाते हैं, उन्हें अधिकारियों के बोर्ड द्वारा कद, छाती और वजन की जांच करने के लिए बुलाया जाएगा। वे अभ्यर्थी जो शारीरिक मानकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हैं उन्हें ट्रेड जांच में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। वे अभ्यर्थी जो निर्धारित किए गए शारीरिक मानकों को पूरा नहीं करते हैं उन्हें पीठासीन अधिकारी द्वारा अस्वीकृति स्लिप देते हुए भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। तथापि, उन्हें केवल चिकित्सा जांच के समय ही वजन के आधार पर बाहर किया जाएगा। आरक्षक (ट्रेड्समैन) के पद के लिए शारीरिक मानक उपरोक्त पैरा 5 (ग) में बताए अनुसार होंगे, और समय-समय पर सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार ही छूट लागू होगी।

ii) भर्ती की प्रक्रिया के दौरान, यदि कोई अभ्यर्थी अपने शारीरिक मानक के माप से संतुष्ट नहीं है तो वह शारीरिक माप में अस्वीकृत किए जाने के विरूद्ध पीठासीन अधिकारी, भर्ती बोर्ड के समक्ष उसी दिन एक अपील दायर कर सकता है। ऐसे अभ्यर्थियों का उसी दिन पुनः माप किया जाएगा अथवा भर्ती बोर्ड के निरीक्षणकर्त्ता उपमहानिरीक्षक द्वारा अपीलिय प्राधिकारी द्वारा पुनः माप के लिए एक नई तिथि दी जाएगी। इस संबंध में अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। यदि वह अभ्यर्थी को निर्धारित मानकों में पाया जाता है तो उसे चयन प्रक्रिया के अगले चरण में भेजा जाएगा।

टिप्पणी :

1. जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है कद और छाती (जैसा भी मामला हो) में छूट केवल तभी दी जाएगी जब अभ्यर्थी अपने साधारण निवास के जिले के सक्षम प्राधिकारियों से अनुलग्णक VI में यथानिर्धारित प्रपत्र में पीईटी/पीएसटी, दस्तावेजीकरण और ट्रेड जांच के समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है।

2. वे अभ्यर्थी जो कदबार जांच मानकों और पीईटी (दौड़) में पात्र पाए जाते हैं, उनके कद, छाती और भार की जांच बोर्ड द्वारा की जाएगी।

IV) **दस्तावेजीकरण :-**

पीईटी/पीएसटी उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के निम्नलिखित मूल दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों की जांच की जाएगी। वे अभ्यर्थी जो अपेक्षित मूल दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे उन्हें पीठासीन अधिकारी द्वारा निरस्त करने संबंधी स्लिप देते हुए भर्ती संबंधी प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और किसी भी अभ्यर्थी को अनंतिम रूप से अनुमत नहीं किया जाएगा।

i) शैक्षिक प्रमाण पत्र।

ii) जन्म प्रमाण पत्र की तिथि (मैट्रिक अथवा दसवीं पास होने का प्रमाण पत्र)।

iii) सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र जो उनकी निवास संबंधी स्थिति सिद्ध कर सके।

iv) अजा/अजजा और अपिव प्रमाण पत्र, यदि लागू हो। यह क्रमशः अनुलग्नक II और III में यथानिर्धारित प्रपत्र में होने चाहिए। जाति प्रमाण पत्र जो विज्ञापन सूचना में दर्शाए गए अनुसार नही हैं उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।

v) यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी (अजा/अजजा/अपिव) में आवेदन करते हैं परंतु दस्तावेजों की जांच के समय जाति प्रमाण पत्रों को किसी भी प्रारूप में प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो उनकी अभ्यर्थिता सीधे ही निरस्त कर दी जाएगी ।

vi) अभ्यर्थी के निवास राज्य से भिन्न राज्य के जाति प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। दोनों प्रमाण पत्र (जाति और निवास) उसी राज्य के द्वारा जारी किए हुए होने चाहिए। तथापि, एक अभ्यर्थी जिसने भर्ती के लिए आवेदन किया है तथा अपनी श्रेणी अजा/अजजा के रूप में दर्शाई है और पीएसटी के समय किसी भी प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र को प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसकी अभ्यर्थिता झूठी सूचना उपलब्ध कराने और गलत लाभ उठाने के कारण सीधे ही निरस्त कर दी जाएगी।

vii) गढ़वाली, कुमाउंनी, डोगरा, मराठा श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी और सिक्किम, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और गोरखा क्षेत्रीय प्रबंधन (जीटीए) राज्यों से संबंधित अभ्यर्थी जिन्होंने कद और छाती में छूट देने के लिए अनुरोध किया है उन्हें अनुलग्नक-VI में दिए गए परिपत्र/प्रारूप में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

viii) भूतपूर्व सैनिकों के मामले में कार्यभार मुक्ति संबंधी प्रमाण-पत्र।

ix) सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागों में काम करने वाले व्यक्तियों के मामले में उनके कार्यालय प्रमुख से अनापत्ति प्रमाण पत्र।

x) केऔसुब में सेवारत कार्मिकों के बच्चों के मामले में जो अपने गृह राज्य के अलावा दूसरे राज्य में आवेदन कर रहे हैं, उन्हें अनुलग्णक- IX में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

xi) अभ्यर्थी की चार नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो।

xii) मूल प्रमाण पत्रों के अलावा अभ्यर्थी शैक्षिक, जाति, तकनीकी/ट्रेड और अनुभव प्रमाण-पत्रों, ड्राईविंग लाईसेंस आदि की फोटो/प्रतियां भी साथ लाएंगे।

1. अभ्यर्थियों को कम से कम एक फोटोयुक्त पहचान पत्र मूल रूप में जैसे ड्राईविंग लाईसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से जारी पहचान पत्र, आयकर पैनकार्ड अपने पास रखने चाहिए।

2. अभ्यर्थी की पहचान अधिकारियों के बोर्ड द्वारा पीईटी/पीएसटी और दस्तावेजीकरण के समय अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए पहचान पत्रों की जांच करके की जाएगी। उनकी पात्रता की जांच करने के लिए पीईटी/पीएसटी चरण में बायोमेट्रिक डाटा भी तैयार किया जा सकता है।

V. **ट्रेड परीक्षा :**

क.) पीईटी/पीएसटी और दस्तावेजीकरण में उत्तीर्ण घोषित किए गए सभी अभ्यर्थियों को ट्रेड परीक्षा देनी होगी। ट्रेड टेस्ट अर्हक प्रकार का होगा। सभी प्रकार से उत्तीर्ण घोषत अभ्यर्थी अपना बुलावा/प्रवेश पत्र वेबसाइट https://cisfrectt.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

ख.) ट्रेड परीक्षा/प्रेक्टिकल आकलन किया जाएगा जो अर्हक प्रकार का होगा।

ग.) ट्रेड परीक्षा :
वे अभ्यर्थी जो पीईटी (शारीरिक दक्षता जांच), पीएसटी (शारीरिक मानक जांच), शारीरिक माप और पात्रता मानदंड की विस्तृत जांच में उत्तीर्ण हो जाते हैं उन्हें प्रत्येक पद के लिए निम्नानुसार यथानिर्धारित ट्रेड परीक्षा देनी होगी।

1. **नाई**
   - क) औज़ार चलाने में कुशल
   - ख) बाल काटना
   - ग) दाढ़ी बनाना

2. **मोची**
   - क) जूते पॉलिश करना
   - ख) औजार चलाना
   - ग) चमड़ा काटना, जूतों की मरम्मत व सिलाई करना

3. **बावर्ची (कुक)**
   - क) 100 व्यक्तियों के लिए रोटी और चावल बनाना
   - ख) 100 व्यक्तियों के लिए सब्जी/दाल/सांबर/इडली आदि बनाना
   - ग) मांस/मछली/अंडा/खीर आदि बनाना

4. **बढ़ई**
   - क) औजार चलाना
   - ख) लकड़ी काटना
   - ग) फिटिंग, पॉलिश और सामग्री की फिनिशिंग

5. **इलेक्ट्रिशियन**
   - क) एसी/डीसी वोल्ट की जानकारी
   - ख) नई बिजली की फिटिंग
   - ग) बिजली की खराबी को ठीक करना

6. **राजमिस्त्री (मेसन)**
   - क) मसाला बनाना
   - ख) राजमिस्त्री/निमार्ण कार्य की जानकारी
   - ग) प्लास्टर कार्य
   - घ) फर्श पर टाईल्स व प्लस्तर करना

7. **माली**

क) बागवानी व कलम बनाना

ख) पौधों का रख-रखाव

ग) Seeti deseeti उर्वरक, बीज और उनकी बुआई के मौसम का ज्ञान

घ) स्वदेशी खाद की जानकारी

8. **पेंटर**

क) रंग पेंट और शेड्स का ज्ञान

ख) साईन बोर्ड की पेंटिग

ग) रंगाई/चित्रांकन

9. **सफाईवाला**

क) झाड़ू लगाना

ख) शौचालय की सफाई

ग) स्नानागार इत्यादि की सफाई

10. **पलंबर**

क) पाईपलाईन बिछाना

ख) पानी की पाईप लाईन की मरम्मत

ग) नलों, गीजर, फ्लश और वाश वेसिन की फिटिंग

11. **धोबी**

क) कपड़ो की धुलाई

ख) सूती खाकी वर्दी पर प्रेस

ग) गर्म, टेरीकॉट वर्दी पर प्रेस

15. लिखित परीक्षा :

जो अभ्यर्थी शारीरिक कुशलता परीक्षा/शारीरिक मानक परीक्षा दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा में पास होगा वही लिखित परीक्षा में बैठ पाएगा। शारीरिक कुशलता परीक्षा/शारीरिक मानक परीक्षा, दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र केऔसुब की वेबसाइट https://cisfrectt.in से अपलोड किए जाएंगे। जिस पर लिखित परीक्षा में बैठने हेतु दिनांक और स्थान उल्लिखित होगा। योग्य उम्मीदवार अपना बुलावा पत्र/प्रवेश पत्र उक्त वेबसाइट अर्थात https://cisfrectt.in से डाउनलोड कर सकते है। लिखित परीक्षा निम्मानुसार होगी:-

(i) लिखित परीक्षा ओएमआर आधारित ली जाएगी।

(ii) प्रश्न पत्र में निम्नलिखित विषयों के 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा।

सामान्य जानकारी/ज्ञान, साधारण गणित का ज्ञान, विश्लेशणात्मक अभिरूचि। हिन्दी/अंग्रेजी में मूलभूत ज्ञान का पालन और अंतर करने की क्षमता।

(iii) लिखित परीक्षा में पास होने के लिए अंको की अंतिम प्रतिशतता निम्नानुसार होगी:-

सामान्य	: 35 %
अ.जा/अ.ज.जा/आ.पि.व	: 33 %

टिप्पणी :–सामान्य श्रेणी के लिए 35 प्रतिशत अहर्क अंक और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/आ.पि.व के लिए 33 प्रतिशत अंकों से तात्पर्य यह नहीं है कि जिन उम्मीदवारों ने 35 प्रतिशत और 33 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लिए है,जैसा मामला हो, को अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। अगले चरण (चिकित्सा जॉच) के लिए अभ्यार्थियों को लिखित परीक्षा में उनके प्रर्दशन / प्राप्तॉकों के आधार पर दक्षता परीक्षा और कट आफ अंक (श्रेणीवार)जो कि लिखित परीक्षा के संपन्न होने के पश्चात निर्धारित किए जाएगें, के आधार पर ही बुलाया जाएगा ।

(iv) प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनो भाषाओं मे होंगे। तदनुसार, प्रश्नपत्र इन भाषाओं में से किसी एक में दिया जा सकता है।

(v) प्रश्नों के उत्तर नीले/काले वॉलपेन से लिखने होंगे।

(vi) लिखित परीक्षा की अवधि 2 घण्टे होगी।

(vii) लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु अभ्यावेदन अथवा लिखित परीक्षा को दोबारा कराना स्वीकार्य नही होगा।

(viii) अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के लिए क्लिप बोर्ड तथा नीला/काला पेन लेकर आएंगे।

(ix) अभ्यर्थियों को फोन, केलकुलेटर अथवा अन्य इलैक्ट्रोनिक/इलैक्ट्रिक उपकरणों को प्रयोग करने की अनुमति नही दी जाएगी। इसलिए अभ्यर्थी इन उपकरणों को परीक्षा परिसर के अंदर लेकर न आएं। इन वस्तुओं के मिलने

पर, चाहे परीक्षा में प्रयोग की हो या नही, 'अनुचित साधनों के प्रयोग' में माना जाएगा और ऐसे उम्मीदवारो के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

(x) **लिखित परीक्षा हेतु निर्देश** :-

1. लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा तथा अभ्यर्थियों को या तो हिंदी या फिर अंग्रेजी में उत्तर देने का विकल्प होगा। अभ्यर्थियों द्वारा चुना गया भाषा कोड अर्थात हिंदी अथवा अंग्रेजी को ओएमआर उत्तर पुस्तिका में उचित स्थान पर सही ढंग से अंकित करना होगा अन्यथा ओएमआर उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को उत्तर हिंदी/अंग्रेजी में ही देने की सलाह दी जाती है लेकिन वे कुछ भाग हिंदी में और कुछ भाग अंग्रेजी अथवा इसके उल्टे में उत्तर नहीं दे सकते है।
2. प्रश्नों के उत्तर केवल ओएमआर शीट पर ही देने होंगे।
3. अभ्यर्थियों को अपना अनुक्रमांक दोनों अर्थात प्रश्न पुस्तिका और ओएमआर उत्तर पुस्तिका पर लिखना चाहिए।
4. सभी प्रश्न अनिवार्य और समान अंक के होंगे।
5. प्रत्येक प्रश्न पुस्तिका का क्रम संख्या और क्रम कोड होगा। अभ्यर्थियों को दी गई प्रश्न पुस्तिका का क्रम संख्या ओर क्रम कोड सही ढंग से ओएमआर उत्तर पुस्तिका में भरना होगा और इसी प्रकार से ओएमआर उत्तर पुस्तिका की संख्या एवं कोड प्रश्न पुस्तिका में उल्लिखित करना होगा।
6. यदि, ओएमआर उत्तर पुस्तिका में अभ्यर्थी का नाम, अनुक्रमांक, भाषा विकल्प कोड, श्रेणी, प्रश्न पुस्तिका क्रम संख्या, क्रम कोड, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगुठे की छाप इत्यादि को पूर्ण एवं सही ढंग से इस उद्देश्य हेतु चिन्हित उपयुक्त कॉलम/बॉक्स पर नही होगा तो ओएमआर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और उस अभ्यर्थी को "शून्य" अंक दिए जाएंगे। इस संबंध में विभाग द्वारा किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में चार विकल्प होगे। इनमें से, अभ्यर्थी को प्रत्येक प्रश्न हेतु सही उत्तर को चुनना होगा और विकल्पों में से केवल एक सही उत्तर को काला करना होगा।
8. यदि एक से ज्यादा गोले काले किए जाएंगे, तो उत्तर जांचा नही जाएगा।
9. अभ्यर्थी गोले को पूर्णरूप हो काला करने से पहले अच्छी तरह से सोच ले एवं निर्णय कर ले।
10. परीक्षा हॉल छोड़ने से पहले ओएमआर उत्तर पुस्तिका निरीक्षक को सोपनी होगी, ऐसा न करने पर आवेदक को अयोग्य ठहराया जाएगा।
11. रफ कार्य के लिए पर्याप्त जगह दी जाएगी। उम्मीदवार उसी जगह का प्रयोग करेगा और कोई अन्य स्थान/पेपर इत्यादि का प्रयोग नही करेगा।
12. अभ्यर्थी को उत्तर पुस्तिका की कार्बन कॉपी ले जाने की अनुमति होगी। लिखित परीक्षा के उचित अंतराल के बाद प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी वेबसाइट https://cisfrectt.in पर अपलोड कर दी जाएगी। तथापि, केन्द्र भी भर्ती केन्द्र के नोटिस बोर्ड पर उत्तर कुंजी प्रदर्शित कर देंगे।
13. अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका पर बताई गई विशेष सूचना के अतिरिक्त कोई असंगत बात न लिखें। यदि वह ऐसा करता है तो उसकी उत्तर पुस्तिका अमान्य होगी और जांची नहीं जाएगी।
14. केलकुलेटर/सैलफोन/अन्य कोई संगणक/इलैक्ट्रोनिक उपकरणों की परीक्षा केन्द्र के अन्दर अनुमति नहीं होगी।
15. परीक्षा भवन के अन्दर यदि किसी अभ्यर्थी के पास मोबाईल फोन अथवा कोई अन्य प्रकार का इलैक्ट्रोनिक /वायरलैस संचार उपकरण पाया जाता है तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।
16. अभ्यर्थी यदि नकल करता अथवा दूसरों की सहायता अथवा अनुचित तरीके का प्रयोग करता पाया जाता है तो उसको तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और इस प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड भी कर दिया जाएगा।
17. उत्तर पुस्तिका की जांच कम्प्यूटर से की जाएगी और पुनः मूल्यांकन के किसी अनुरोध पर, किसी भी कीमत पर विचार नहीं किया जाएगा।
18. ओएमआर उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पुस्तिका के कॉलम उपयुक्त तरीके से भरने के लिए अभ्यर्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

16. चिकित्सा जांच और प्रमाण पत्रों की छानबीन :

(i) प्रत्येक सेक्टर/ट्रेड/श्रेणी के लिए लिखित परीक्षा में केऔसुब द्वारा नियत कट-ऑफ अंको से ऊपर स्कोर करने वाले अभ्यर्थियों को ही चिकित्सा जांच में शामिल किया जाएगा। विभाग को प्रत्येक सेक्टर में

आबंटित रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग राज्यों/श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग योग्य मानक नियत करने का विवेक होगा।

(ii) शारीरिक दक्षता परीक्षा/शारीरिक मानक परीक्षा, दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षा और लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के ब्यौरे/सूची वेबसाइट अर्थात https://cisfrectt.in पर अपलोड की जाएगी। विस्तृत चिकित्सा जांच हेतु चयनित अभ्यर्थी अपना बुलावा पत्र/प्रवेश पत्र वेबसाइट अर्थात https://cisfrectt.in के माध्यम से डाउनलोड कर सकता है। इसके अतिरिक्त, चिकित्सा जांच के लिए बुलाए गऐ अभ्यर्थियों की सूची और उनके चिकित्सा जांच की तिथि और स्थान के बारे में भी लिखित परीक्षा के पूरा होने की तिथी से उचित समय के बाद केऔसुब की वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा।

(iii) अभ्यर्थियों को या तो योग्य या फिर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। किसी अस्थाई अयोग्यता की अनुमति नहीं होगी।

(iv) यदि किसी अभ्यर्थी को चिकित्सा जांच के दौरान नियुक्ति हेतु चिकित्सीय रूप से अयोग्य घोषित किया जाता है, तो अस्वीकृति के कारणों को संबंधित चिकित्सा अधिकारी द्वारा पीठासीन अधिकारी से विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित करके लिखित रूप में स्पष्ट रूप से अभ्यर्थी को सूचित किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी चिकित्सा अधिकारी के परिणाम से संतुष्ट नहीं हो तो वह चिकित्सा अयोग्यता की सूचना से 15 दिनो के अंदर समीक्षा चिकित्सा जांच शुल्क के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र के रूप में अपनी स्वस्थता के सबूत पदनामित अपीलीय प्राधिकारी को चिकित्सा जांच की समीक्षा हेतु अपील प्रस्तुत कर सकता है। अस्थाई अयोग्यता की अनुमति नहीं है, चूंकि भारत सरकार के नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार किसी अस्थायी अयोग्यता की अनुमति नहीं है इसलिए केऔसुब के चिकित्सा बोर्ड द्वारा की गई विस्तृत चिकित्सा जांच में केवल संभावित ''गलत निर्णय'' के विरूद्ध अपील स्वीकार्य/विचारणीय होगी। एक अभ्यर्थी को योग्य/अयोग्य घोषित करने के लिए प्रारंभिक अथवा विस्तृत चिकित्सा जांच के समय उनकी बिमारियों, विकृतियों और अन्य योग्यता मानकों की चिकित्सा जांच की जाएगी। चिकित्सा जांच की समीक्षा की अपील केवल संभावित ''गलत निर्णय'' के आधार पर विचारणीय होगी। समीक्षा बोर्ड, विशेषज्ञों के साथ अथवा उनके बिना केवल ऐसे संभव ''गलत निर्णय'' पर विचार करेगा अथवा विशेषज्ञ की राय मांगेगा और /अथवा राय जानने के लिए आवश्यक टेस्ट करवा सकता है। अगर कोई अभ्यर्थी विस्तृत चिकित्सा जांच के दौरान चिकित्सा अधिकारी द्वारा पाई गई कमी को किसी शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप/रोग हटाने/कमी को सही करने के माध्यम से चिकित्सा जांच समीक्षा (आरएमई) के लिए रिपोर्ट करता है तो वह आरएमई के दौरान पुनः जांच के लिए स्वीकार्य /विचारणीय नही होगा। स्वीकारने के मामले में, भर्ती हेतु चिकित्सा दिशानिर्देशों के अनुसार ही आर एम ई किया जाएगा।

(v) शरीर के पारम्परिक हिस्से जैसे बाजू के अग्रभाग के अंदर के भाग पर अंकित टैटू स्वीकार्य होगा लेकिन केवल बायीं अग्रभुजा पर जिसका प्रयोग सलामी देने में नहीं किया जाता है अथवा हाथ के पिछले हिस्से को अनुमत किया गया है। इसका आकार शरीर के विशिष्ट भाग (कोहनी अथवा हाथ) के 1/4 हिस्से से कम होना चाहिए। शरीर के टैटू को हटाने के बाद त्वचा पर बने निशान वाले अभ्यर्थी को चोट के बाद अथवा जलने के बाद बनने वाले निशान की तरह स्वीकारा जा सकता है बशर्ते उन्हें इसके कारण बाद में कर्त्तव्य पालन अथवा शारीरिक कार्य में कोई बाधा न आए।

(vi) अभ्यर्थी को प्रारंभिक चिकित्सा जांच करने वाला, चिकित्सा अधिकारी, जो उसे चिकित्सीय रूप से अयोग्य घोषित करता है, वह चिकित्सा जांच समीक्षा करने वाले समीक्षा चिकित्सा बोर्ड में नहीं होगा।

17. चयन का तरीका/अंतिम वरीयता सूची बनाना

(i) पीएसटी/पीईटी, दस्तावेज जांच, ट्रेड टेस्ट एवं लिखित परीक्षा पूर्ण होने के बाद, सामान्य, अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. और भूतपूर्व सैनिकों के लिए खंडवार, ट्रेडवार और श्रेणीवार सूची, अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंको के आधार पर अलग से तैयार की जाएगी।

(ii) चयन के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत निम्नानुसार होगा :-

सामान्य और भूतपूर्व सैनिक	: 35 %
अ.जा./अ.ज.जा/आ.पि.व.	: 33 %

टिप्पणी :–सामान्य श्रेणी के लिए 35 प्रतिशत अहर्क अंक और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/आ.पि.व के लिए 33 प्रतिशत अंकों से तात्पर्य यह नहीं है कि जिन उम्मीदवारों ने 35 प्रतिशत और 33 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लिए है,जैसा मामला हो, को अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। अगले चरण (चिकित्सा जॉच) के लिए अभ्यार्थियों को लिखित परीक्षा में उनके प्रर्दशन / प्राप्तॉकों के आधार पर दक्षता परीक्षा और कट आफ अंक (श्रेणीवार)जो कि लिखित परीक्षा के संपन्न होने के पश्चात निर्धारित किए जाएगें, के आधार पर ही बुलाया जाएगा ।

(iii) समान अंकों के मामले में, मैरिट सूची निम्नलिखित क्रम में तैयार की जाएगी :-

(क) ज्यादा उम्र वाले को वरीयता दी जाती है।

(ख) यदि फिर भी अंक समान रहते है तो समाधान अभ्यर्थी की लम्बाई, शैक्षणिक योग्यता की तुलना करके किया जाता है। जिस अभ्यर्थी की लम्बाई और शैक्षणिक योग्यता अधिक होगी उसका स्थान ऊपर रखा जाएगा।

(ग) यदि फिर भी अंक समान रहते है तो अंततः नाम के वर्णानुक्रम (अग्रेंजी) के अनुसार समाधान किया जाता है अर्थातः वर्णानुक्रम के अनुसार जिस अभ्यर्थी के नाम का पहला अक्षर दूसरे अभ्यर्थी के नाम के पहले अक्षर से पहले आए उसे वरीयता दी जाती है।

(iv) अ.जा., अ.ज.जा. और आ.पि.व. के अभ्यर्थी जो बिना छूट के अपनी मैरिट सूची मे चयनित होता है, वह रिक्तियों के आरिक्षत हिस्से के विरूद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा। जैसा कि अ.जा./अ.ज.जा. और अ.पि.व. अभ्यर्थियों को समस्त मैरिट सूची में उनकी स्थिति के अनुसार सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों के विरूद्ध समायोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियों को योग्य अ.जा./अ.ज.जा. और अ.पि.व. के अभ्यर्थियों में से अलग से भरा जाएगा, जो कि इस प्रकार अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. के अभ्यर्थी जिनकी मैरिट अनारिक्षत वर्ग की मैरिट सूची के अंतिम सामान्य अभ्यर्थी से कम होगी लेकिन वह आरक्षित मानको द्वारा नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता हो।

(v) अंतिम परिणाम वेबसाइट अर्थात https://cisfrectt.in पर प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची भर्ती केन्द्र के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी तथा केऔसुब की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जिसके बाद नियुक्ति प्रस्ताव जारी किया जाएगा।

टिप्पणी :–

(1) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए सभी पात्रता शर्ते पूरी करते हैं। उनका परीक्षा के प्रत्येक स्तर पर प्रवेश पूर्णतः अनंतिम और निर्धारित पात्रता शर्तो को पूरा करने के अध्याधीन होगा। यदि शारीरिक दक्षता परीक्षा/शारीरिक मानक परीक्षा और दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सा जांच से पहले या बाद में किसी भी समय जांच में यह पाया जाता है कि वे किसी एक भी शर्त को पूरा नहीं करते है तो उनकी परीक्षा के लिए अभ्यर्थिता विभाग द्वारा निरस्त कर दी जाएगी।

(2) नियुक्ति के समय सभी चयनित अभ्यर्थियों से एक वचनबद्धता लेली जाएगी ताकि यदि उनके सेवाकाल के किसी भी स्तर पर यदि वे वर्णान्ध पाए जाते है, तो उनको प्रचलन में शेप (एसएचएपीई) नीति के अनुसार बाहर कर दिया जाएगा और उनकी सेवा पुस्तिका से संलग्न कर दिया जाएगा।

(3) भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय किसी भी कारण से कोई अभ्यर्थी अयोग्य पाया जाता है अथवा तथ्य छूपाने के मामलें में, उसकी अभ्यर्थिता/चयन/नियुक्ति तदनुवार निरस्त की जा सकती है।

(4) योग्य अथवा पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण शेष रह गई भूतपूर्व सैनिकों की आरक्षित रिक्तियों के मामले में, भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाएं तथा पदों में पुनः रोजगार) नियम 2012 की अधिसूचना के अनुसार उन पदों को क्रमशः संबंधित श्रेणी के अन्य उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।

(5) कोई प्रतीक्षा सूची नही लगाई/रखी जाएगी।

18. **निर्णय :-**

पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति, गलत सूचना के लिए जुर्माना, चयन प्रक्रिया, परीक्षा लेना, परीक्षा केन्द्रो का आबंटन और मैरिट सूची तैयार करने से संबंधित सभी मामलों मे बोर्ड/विभाग के निर्णय अंतिम होंगे और अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होंगे तथा इस संबंध में कोई जांच पड़ताल/पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

19. न्यायालय अधिकार क्षेत्र :

इस भर्ती के संबंध में कोई विवाद उस न्यायालय/अधिकरण के अधीन होगा जिसका अधिकार क्षेत्र केऔसुब का भर्ती केन्द्र उस शहर/कस्बे में स्थापित हो और जहां उम्मीदवार ने अपना आवेदन जमा करवाया है।

20. **अभ्यर्थियों के लिए महत्वपर्ण दिशा-निर्देश :**

01. मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा 10वीं पास कम से कम शैक्षणिक योग्यता है। भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी), शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी), दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा और विस्तृत चिकित्सा परीक्षा शामिल होगी।

02. आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इस नोटिस में निहित विस्तृत निर्देशों को ध्यान से पढ़ ले। यह नोटिस केऔसुब की वेबसाइट https://cisfrectt.in पर भी उपलब्ध है।

03. जो अभ्यर्थी अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का फायदा लेना चाहते है, वे सुनिश्चित कर ले कि वे नोटिस में निर्धारित योग्यता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं। पीईटी/पीएसटी और दस्तावेजीकरण के दौरान जब प्रमाण-पत्रों की प्रतियां मांगी जाएगी तब अपने दावे के समर्थन में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र भी उनके पास उपलब्ध होने चाहिए। अ.पि.व. अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस नोटिस में निर्धारित तिथि के अंदर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में अ.पि.व. प्रमाण पत्र उनके पास उपलब्ध हैं।

04. शारीरिक रूप से दिव्यांग श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन करने हेतु पात्र नहीं है।

05. देय शुल्क :- केवल एक सौ रूपये (100/-रू) एसबीआई चालन के माध्यम से देय अथवा किसी भी बैंक से नेट बैंकिंग/क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान। सरकारी आदेशों के अनुसार, आरक्षण हेतु पात्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, भूतपूर्व सैनिक से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए शुल्क में छूट है।

06. अंतिम तिथि : 20/11/2017
आवेदन का ऑनलाइन प्रस्तुततीकरण वेबसाइट https://cisfrectt.in पर किया जा सकता है, ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए दिनांक 14/10/2017 से ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध है।

07. मोबाइल तथा सहायक सामग्री और अन्य इलैक्ट्रोनिक गजट परीक्षा स्थल के परिसर के भीतर निषेध है। ऐसे गजट के पाने वाले अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता तुरंत निरस्त कर दी जाएगी। विभाग (केऔसुब) ऐसी वस्तु को अनुचित साधन मानता है।

08. आवेदनों को केवल ऑनलाईन तरीके के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। केवल एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है। कई आवेदन पत्रों के मामले में, अंतिम आवदेन पत्र जिनके लिए भाग-। और ।। के पंजीकरण को पूरा कर लिया गया है, स्वीकार किया जाएगा।

09. केऔसुब ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण के सफल समापन के लिए अभ्यर्थियों को एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से पावती भेजेगा।

10. पीईटी/पीएसटी, दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा और विस्तृत चिकित्सीय जांच के लिए बुलावा पत्र/प्रवेश पत्र वेबसाईट https://cisfrectt.in पर उपलब्ध होंगे।

11. आवेदकों को पीईटी/पीएसटी, दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा और विस्तृत चिकित्सीय जांच के लिए अपने प्रवेश पत्र वेबसाइट https://cisfrectt.in से ऑनलाइन डाउनलोड करने होंगे। आवेदकों को किसी भी जानकारी के लिए हेल्पलाईन नं. 011-24366431/24307932 पर संपर्क करना चाहिए।

12. आवेदकों को अपने साथ परीक्षा केन्द्र पर मूल रूप में एक फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे ड्राईविंग लाईसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र, आयकर पैन कार्ड लेकर आना होगा, ऐसा नहीं किए जाने पर उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13. विभाग के पास बगैर कोई कारण बताए विज्ञापन में कोई भी परिवर्तन करने अथवा इसे निरस्त करने का अधिकार रहेगा। इसके अलावा यहां पर उल्लिखित सभी शर्तें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार बदल सकती है।

14. चयन होने पर अभ्यर्थी समय-समय पर जारी किए गए यथा लागू ऐसे सभी सरकारी दिशा-निर्देशों/नियमों के साथ-साथ केऔसुब अधिनियम और नियमावली द्वारा अधिशासित होंगे।

15. अभ्यर्थियों को अपने खुद के जोखिम/खर्चों पर चयन/परीक्षा में शामिल होना होगा और उन्हें कोई टीए/डीए देय नहीं होगा। उन्हें भर्ती के दौरान ठहरने के लिए अपने स्वयं के प्रबंध करने होंगे।

16. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती में आने से पहले दौड़/पीईटी का पर्याप्त अभ्यास करें। उन्हें आगे सलाह दी जाती है कि वे दिए गए समय में एक विशिष्ट दूरी को दौड़ कर पूरा करने में उनकी योग्यता के संबंध में स्वयं की चिकित्सीय जांच करवा लें। केऔसुब भर्ती प्रकिया/परीक्षा के दौरान किसी चोट/दुर्घटना के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

17. परीक्षा के सभी चरणों में अभ्यर्थियों का दाखिला पूर्ण रूप से अनंतिम होगा तथा यह उनकी निर्धारित पात्रता संबंधी शर्तो के पूरा करने के अधीन होगा। भर्ती प्रकिया के अंत में चिकित्सा परीक्षण से गुजरने का तात्पर्य यह नहीं होगा कि उन्हें नियुक्ति दे दी गई है क्योंकि नियुक्ति का ऑफर अभ्यर्थियों की मेरिट के कम में मेरिट सूची से प्रत्येक क्षेत्र/ट्रेड और श्रेणी के लिए आवंटित रिक्तियों के अनुसार ही किया जाएगा ।

18. चयनित अभ्यर्थियों को बल के किसी भी प्रशिक्षण केन्द्र पर एक विशिष्ट अवधि के लिए निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी निधारित प्रशिक्षण को उत्तीर्ण नहीं करता है तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

19. किसी भी तरीके से पैरवी अथवा बाहरी माध्यम से प्रभावित करवाने का प्रयत्न अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने से बगैर कोई चेतावनी दिए स्वत: ही अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

20. वे अभ्यर्थी जिनके पास सही दृष्टिकोण, योग्यता, अच्छा स्वास्थ्य और संबंधित ट्रेड की जानकारी है वे इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

21. परीक्षा में सफलता से यह तात्पर्य नहीं है कि अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई है, जब तक विभाग को यह संतुष्टि नहीं हो जाती है कि ऐसी जांच के पश्चात जिसे आवश्यक समझाा जाए अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए सभी तरीकों से उपयुक्त पाया जाता है।

22. संबंधित भर्ती बोर्ड/विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

23. पात्रता, आवेदन पत्रों को स्वीकार करना अथवा रद्द किया जाना, चयन का तरीका, परीक्षाओं का संचालन और परीक्षा केन्द्रों का आवंटन, दक्षता परीक्षा की विधि/प्रक्रिया, चिकित्सा परीक्षण आदि से संबंधित सभी मामलों में विभाग का निर्णय अंतिम होगा और अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा और इस संबंध में किसी जांच/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

24. **हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में कोई अन्य प्रमाण-पत्र हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद के साथ विधिवत सत्यापित करके संलग्न करे, अन्यथा इस पर विचार नही किया जाएगा।**

25. आवेदक के चयन/नियुक्ति के बाद उनकी किसी भी आधार पर सेवा के लिए अयोग्य/अपात्र पाए जाने की स्थिति में बिना कोई कारण बताए आवेदक की सेवाएं रद्द कर दी जाएंगी।

26. दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच के समय किसी कमी के पता न लगने पर जब बाद में उस कमी का पता लगने पर उस स्थिति में उस आवेदक को उस पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसे भर्ती के बाद के स्तरों पर उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इस विषय के संबंध में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

27. महानिदेशक, केऔसुब को बिना कोई कारण बताए भर्ती में परिवर्तन करने, रद्द करने अथवा स्थगित करने का अधिकार है।

28. केऔसुब में आरक्षक (ट्रेड्समेन) पद की भर्ती के लिए निर्धारित सभी परीक्षणों को केवल पास करने मात्र से आवेदक को चयन का अधिकार नहीं होता बल्कि उन्हें उस विशेष पद में उपलब्ध रिक्तियों को ध्यान में रखकर मेरिट स्तर तक आना होगा।

29. भर्ती के विभिन्न चरणों में सफल होना तब तक नियुक्ति का अधिकार प्रदान नहीं करता जब तक कि विभाग चिकित्सा जांच या इसके बाद ऐसी पूछताछ से संतुष्ट न हो जिससे कि आवेदक को सेवा/पद में नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया गया है।

30. आवेदक को भर्ती के सभी चरणों में भाग लेना वांछित है जिसके लिए वे योग्य पाये गये है। यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में अनुपस्थित पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

31. केऔसुब पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ योग्य, प्रतिबद्ध ईमानदार और अच्छे उम्मीदवारों को भर्ती करने का प्रयास करता है। इसलिए उम्मीदवारों को ''**दलालो**'' से सावधान रहने की सलाह दी जाती है।

टिप्पणी :- दलालों से सावधान रहें। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में भर्ती के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति पैसे की मांग करता है अथवा भर्ती करवाने का वादा करता है, तो तत्काल भर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारी को सूचित करें।

अनुलग्नक-।

आवेदन पत्र को ऑनलाईन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन निम्नानुसार उपलब्ध होंगे :-
पंजीकरण भाग, आवेदन भाग और भाग-। और ।।
14/10/2017 से 20/11/2017 तक

1. आवेदन पत्रों को वेबसाइट http://https://cisfrectt.in पर ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।

2. अभ्यर्थियों को कोई भी प्रविष्टि भरने अथवा विकल्पों का चयन करने से पहले इस सूचना में दिए गए दिशा-निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन फार्म भरते समय सभी अपेक्षित विवरणों को भरना चाहिए। आवश्यक खानों को * (स्टारिक) चिह्न से चिन्हित किया गया है। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के लिए निम्नलिखित तीन भाग हैं।

i) पंजीकरण भाग (व्यक्तिगत विवरणो सहित)

प्रारंभ में अभ्यर्थियों को अपनी मूल व्यक्तिगत जानकारी भरनी है और अपनी फोटो और स्कैन किए गए हस्ताक्षर (4 केबी से 12 केबी तक) अपलोड करने हैं। फोटो और स्कैन किए गए हस्ताक्षर के एक बार अपलोड होने के पश्चात '**सब्मीट**' का बटन दबाएं। एक बार सफलतापूर्वक अपलोड होने के पश्चात अगली स्कीन पंजीकरण आई. डी. और पासवर्ड प्रस्तुत करेगी। पंजीकरण संख्या और पासवर्ड को लिख लें अथवा उस पृष्ट का प्रिंट ले लें।

ii) आवेदन भाग : पंजीकरण भाग के पूरा होने के पश्चात अभ्यर्थी को पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का प्रयोग करते हुए आवेदन भाग को भरना चाहिए।

iii) भाग-। : वे अभ्यर्थी जो शेष जानकारी को भरना चाहते हैं वे अपेक्षित जानकारी भरने के लिए भाग-। बटन को दबाएं। अब स्कीन में अभ्यर्थी द्वारा भरी जानेवाली पूर्ण जानकारी आएगी। यदि अभ्यर्थी कोई शुद्धि करना चाहता है तो 'बैक' बटन दबाएं और यदि वह अपने द्वारा भरे गए डाटा से संतुष्ट है तो 'सबमीट' बटन दबाए। सबमीट बटन के चयन के बाद कोई शुद्धि नहीं की जा सकती है। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने द्वारा भरी गई जानकारी की सत्यता की पुष्टि करने के बाद ही सबमीट बटन दबाएं।

क) अभ्यर्थियों को अपने जन्म प्रमाण पत्र के प्रमाण को स्कैन कर 05 एमबी तक के रंगीन पीडीएफ प्रारूप में अपलोड करना चाहिए।

ख) अभ्यर्थियों को अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र अर्थात् 10वीं/मैट्रिक प्रमाण पत्र के प्रमाण को स्कैन कर 05 एमबी तक के रंगीन पीडीएफ प्रारूप में अपलोड करना चाहिए।

ग) यदि अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक श्रेणी से संबंध रखता है तो उन्हें अपनी कार्यभार मुक्ति पुस्तिका की 05 एमबी तक की रंगीन स्कैन की हुई प्रति पीडीएफ प्रपत्र में अपलोड करनी होगी।

घ) यदि अभ्यर्थी केऔसुब के कार्मिक हैं तो उन्हें अपने इकाई कमाण्डर से प्राप्त प्रमाण पत्र को पीडीएफ प्रारूप में स्कैन करके अपलोड करना चाहिए।

ड़) यदि अभ्यर्थी केऔसुब कार्मिक के बच्चे हैं तो उन्हें इकाई कमाण्डर से प्राप्त निर्भरता प्रमाण पत्र को पीडीएफ प्रारूप में स्कैन करके अपलोड करना चाहिए।

iv) आवेदन प्रपत्र का **भाग-2** शुल्क के भुगतान के संबंध में है। अभ्यर्थी जो आवेदन शुल्क को ऑनलाईन तरीके से भुगतान करना चाहता हैं वे किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग/क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड (बीजा/मैस्ट्रो/मास्टर कार्ड) अथवा एसबीआई बैंक चालान के माध्यम से कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को यह नोट करना चाहिए कि वे विभाग द्वारा दी गई पंजीकरण संख्या और बैंक की लेन-देन आईडी को उपयुक्त जगह पर उपयुक्त तरीके से प्रविष्ट करें, ऐसा न होने पर भुगतान को पंजीकरण के आरंभिक भाग के साथ लिंक करना संभव नही होगा।

3. यदि शुल्क भुगतान से छूट प्राप्त नही है तो उस स्थिति में ऑनलाइन आवेदन केवल शुल्क के भुगतान के बाद ही पूरा माना जाएगा।

4. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भरे गए आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास भविष्य की आवश्यकताओं के लिए रख लें। अभ्यर्थियों को शुल्क की रसीद का प्रिंट आउट अपने पास रखना होगा और पीईटी/पीएसटी के समय भर्ती बोर्ड के पास अथवा जैसी और जब आवश्यकता हो दिखाना होगा।

5. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे 8 बाइट जेपीजी प्रारूप में अपना नवीनतम स्कैन किया गया फोटोग्राफ

अपलोड करें। फाईल का डिजिटल साईज 100 पिक्सल चौड़ाई तथा 140 पिक्सल लंबाई के रेज्यूलेशन में 12 केबी से कम और 4 केबी से अधिक होना चाहिए।

6. अपना स्कैन किया गया हस्ताक्षर भी 8 बाइट जेपीजी प्रारूप में अपलोड करें। फाईल का डिजिटल साईज 140 पिक्सल चौड़ाई तथा 60 पिक्सल लंबाई के रेज्यूलेशन में 12 केबी से कम और 4 केबी से अधिक होना चाहिए।

7. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन प्रपत्र भरने से पहले दिशा-निर्देशों को सावधानी से पढ़ें।

8. आवेदन प्रपत्र में किसी विवरण में परिवर्तन/शुद्धि के अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। विभाग आवेदन पत्र में भरे गए किसी विवरण में शुद्धि/परिवर्द्धन/विलोपन को स्वीकार न किए जाने की वजह से चाहे जो भी कारण रहे हों, किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

9. अंतिम तिथि अर्थात 20/11/2017 के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

10. अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए की गई यात्रा हेतु कोई टीए/डीए अनुमत नहीं होगा।

11. वे अपने स्वयं के खर्चो और जोखिम पर चयन परीक्षाओं में शामिल होंगे।

12. नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि अभ्यर्थियों को निर्धारित मापदंडों के अनुसार और अन्य सभी अपेक्षित शर्तो के पूरा करने पर चिकित्सीय रूप से फिट घोषित किया गया है।

13. सभी पद वर्दीधारी हैं। चयनित अभ्यर्थियों को केऔसुब के किसी भी प्रशिक्षण संस्थान में मूल वर्दीधारी हेतु प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम के लिए भेजा जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर पाएंगे वे इस विषय पर सरकार/विभाग द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/दिशा-निर्देशों के अनुसार बर्खास्त किए जा सकते हैं।

14. चयन/नियुक्ति के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी आधार पर तथ्यों को छिपाने का दोषी पाया जाता है तो उसकी सेवाएं बगैर कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएगी।

15. ये पद अखिल भारतीय हैं और अभ्यर्थियों को भारत/विदेश में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।

16. चयनित अभ्यर्थियों को केऔसुब में उनकी नियुक्ति होने पर वे केऔसुब अधिनियम और नियम 2001 और समय-समय पर यथा लागू विनियमों द्वारा अधिशासित होंगे। यदि बल में इस प्रकार नियुक्त किए गए अभ्यर्थी नियम के अनुसार त्यागपत्र अथवा कार्यभार से मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें सरकार को 03 महीने का वेतन और भत्ते के बराबर की राशि अथवा उनके प्रशिक्षण पर किए गए खर्च को, जो भी ज्यादा हो, जमा करवाना होगा।

17. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में जिस पद के लिए उन्होंने आवेदन किया है, उसे स्पष्ट रूप से दर्शाना चाहिए।

18. नियुक्ति निवास क्षेत्र में वरिष्ठता के क्रम में अंतिम वरीयता सूची से तैयार की जाएगी।

19. चयन प्रक्रिया में सफलता से यह तात्पर्य नहीं है कि अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई है जब तक कि उन्हें विज्ञापित रिक्तियों के अधीन तैयार अंतिम कट-ऑफ मैरिट सूची के अंदर स्थान प्राप्त नहीं हो जाता है और विभाग को यह संतुष्टि हो जाती है कि ऐसी जांच के पश्चात जिसे आवश्यक समझा जाए अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए सभी तरीकों से उपयुक्त पाया जाता है।

20. किसी भी तरीके से पैरवी अथवा बाहरी माध्यम से प्रभावित करवाने का प्रयत्न अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने से बगैर कोई चेतावनी दिए स्वतः ही अयोग्य घोषित कर देंगे।

21. रिक्तियों को प्रशासनिक कारणों से बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है।

22. 01.01.2004 से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू नई अंशदायी पेंशन स्कीम चयनित अभ्यर्थियों पर लागू होगी।

23. परीक्षा के दौरान लगने वाली किसी भी चोट और किसी भी दावे के लिए भर्ती बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा। इस भर्ती से संबंधित सभी मामलों में भर्ती बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

24. सरकार का प्रयत्न है कि ऐसा बल तैयार किया जाए जिसमें लिंग समानता हो और महिला अभ्यर्थियों को इन पदों के लिए आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए।

25. अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण के दौरान किसी चोट अथवा दुर्घटना के लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे अर्थात वे अपने जोखिम पर परीक्षा में शामिल होंगे।

26. आयु, शैक्षिक योग्यता, जाति, शारीरिक/चिकित्सीय मानक आदि के संबंध में पात्रता मानदंड के लिए अंतिम जांच चिकित्सीय परीक्षण और बल में शामिल होने के समय की जाएगी। इसलिए एक अभ्यर्थी की पात्रता केवल अनंतिम रूप केवल तभी स्वीकार की जाएगी जब तक कि वह बल में शामिल नहीं हो जाता है। चिकित्सीय परीक्षण/बल में शामिल होते समय जब जांच की जाती है और यदि आवेदन पत्र में किए गए किसी दावे को सही नहीं पाया जाता है तो उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जाएगा और इस संबंध में केऔसुब का निर्णय अंतिम होगा। बल में शामिल होने के पश्चाात भी जन्म प्रमाण/शैक्षिक/जाति/अन्य अपेक्षित प्रमाण पत्रों की सत्यता/वास्तविकता को संबंधित बोर्ड/प्राधिकरण/संस्थान से जांच करवाई जाएगी और यदि किसी भी चरण में कोई अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति की सेवाएं बगैर कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएगी।

27. विज्ञापन में कोई संशोधन अथवा भर्ती और परीक्षा/परिणाम आदि से संबंधित अद्यतन जानकारी को केवल केऔसुब की वेबसाइट https://cisfrectt.in पर अपलोड किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे ताजा जानकारी के लिए केऔसुब की वेबाईट https://cisfrectt.in पर नियमित रूप से लॉग-इन करें।

28. भर्ती के किसी भी चरण से संबंधित कोई जानकारी संबंधित चरण के कार्यक्रम तक दी जाएगी। एक चरण के पूरा होने के पश्चात उस चरण से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी जाएगी।

29. संबंधित श्रेणी में छूट केवल उन मामलों में दी जाएगी जहां आवेदन किए गए पद के लिए संबंधित श्रेणी में रिक्तियां उपलब्ध हैं। यदि संबंधित श्रेणी की रिक्तियां उस पद में उपलब्ध नहीं हैं और अभ्यर्थी इस श्रेणी में छूट नहीं ले रहा है तो उसे सामान्य/अनारक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी माना जाएगा। जहां अन्य पिछड़ा वर्ग/अजा/अजजा श्रेणी की रिक्तियां उपलब्ध नहीं है और अभ्यर्थी सामान्य/अनारक्षित श्रेणी अभ्यर्थी के मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता किसी भी चरण में निरस्त कर दी जाएगी। तथापि भूतपूर्व सैनिकों के अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को उनकी श्रेणी अथवा किसी विशिष्ट श्रेणी की रिक्तियों को ध्यान में रखे बगैर स्वीकार किया जाएगा।

अभ्ययर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

दलालों से सावधान रहें। केऔसुब मे भर्ती के लिए पैसा नहीं लिया जाता है। यदि आपने किसी को पैसा दिया है या देने का वादा किया है तो आप धोखा-धड़ी का शिकार हुए हैं और आप अपना पैसा नष्ट कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति आपसे चयन के बदले पैसे मांगता है तो आप तत्काल भर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारी (पी. ओ.) और संबंधित भर्ती केन्द्र के उप महानिरीक्षक को सूचित करें।

अनुलग्नक–II

अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री श्री ....गॉव/नगर .... जो जिला/खंड.....................राज्य/ संघ शासित क्षेत्र ....जाति/जनजाति* से सम्बंधित है की पहचान निम्न के अधीन अनुसूचित जाति/जनजाति* के रूप में निम्नानुसार की गई है ।

'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950@
'संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950@
'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) (संघ शासित क्षेत्र) आदेश, 1951@
'संवैधानिक (अनुसूचित जन जाति) (संघशासित क्षेत्र) आदेश, 1951 @
(जैसा कि अनुसूचित जाति/जनजाति सूचियॉ (संशोधन आदेश) 1956 द्वारा यथा संशोधित, बाम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960, 'पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोतर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति/जनजति आदेश संशोधन अधिनियम 1976) मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरूणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 और गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987)
'संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956@
'संवैधानिक (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जाति आदेश 1959 यथासंशोधित अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976@
'संवैधानिक (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962@
'संवैधानिक (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@
'संवैधानिक (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@
'संवैधानिक (उतर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967@
'संवैधानिक (गोवा दमन दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968@
'संवैधानिक (गोवा दमन दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968@
'संवैधानिक (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@
'संवैधानिक (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@
'संवैधानिक (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@
'संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@
'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश संशोधन अधिनियम, 1990@
'संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन अध्यादेश, 1991@
'संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश दूसरा संशोधन अध्यादेश, 1991@
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002@
'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश अधिनियम (संशोधन) 2002@
'संवैधानिक (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश अधिनियम (संशोधन) 2002@
'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम 2002@

2. '' एक राज्य/संध शासित प्रदेश/प्रशासन से दूसरे राज्य प्रवास कर गए अनुसूचित जाति/जनजाति व्यक्तियों पर लागू।

यह प्रमाणपत्र अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र के आधार पर श्री/श्रीमती* .... पिता/माता श्री/श्रीमती/कुमारी* ....गांव/नगर'*............................जिला/खंड* ....राज्य/संधशासित क्षेत्र* .... जो कि ....जाति/जनजाति से संबंधित हों जिसे राज्य/संधशासित क्षेत्र...................................द्वारा जारी किए गए .... (उपरोक्त जारी करने वाला प्राधिकरण का नाम) द्वारा उनकी संख्या ....दिनांक ....को जारी किया गया ।

#3 श्री/श्रीमती/कुमारी* .... और/अथवा/उसका' परिवार वास्तविक रूप से गांव/नगर .... जिला/खंड*........................राज्य/संधशासित क्षेत्र* ....में साधारणतया रहते है ।

हस्ताक्षर..........................
**पदनाम.........................
राज्य/संघीय क्षेत्र..........................

स्थान ....
दिनांक ....

*जो लागू न हो वे शब्द काट दिये जाये।
@ कृप्या राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का संदर्भ दें ।
# ml iSjkxzkQ dks gVk nsa tks ykxw u gks A

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त शब्द 'सामान्य रूप' से निवासकर्ता है का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में निहित है।

****अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अपिव का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची।**

1) जिला मेजिस्ट्रेट/अपर जिला मेजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/ उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मेजिस्ट्रेट/सब डिविजिनल मेजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मेजिस्ट्रेट/कार्यकारी मेजिस्ट्रेट (+प्रथम श्रेणी वैतनिक मेजिस्ट्रेट से पद में कम न हो)
2) मुख्य प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट
3) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का न हो ।
4) उस क्षेत्र के सब डिवीजनल अधिकारी जिस क्षेत्र में आवेदक और/अथवा उसके परिवार के सदस्य साधारणतः निवास करते है।

टिप्पणी

तमिलनाडु राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति के आवेदक **केवल राजस्व खण्ड अधिकारी द्वारा** जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ।

अनुलग्नक -III

अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री/श्री ....गांव/नगर.................................. जिला/प्रभाग ....में राज्य/संघशासित क्षेत्र' ....के ....जाति से संबंधित है जिसकी निम्नलिखित के अधीन पिछड़े वर्ग के रूप में पहचान की गई है :

'भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/68/93–बी सी सी (सी) दिनांक 10 सितम्बर 1993 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खंड 1 संख्या 186 दिनांक 13 सितम्बर 1993 में प्रकाशित@

'भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/09/94–बी सी सी दिनांक 19/10/1994 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खंड 1 संख्या 163 दिनांक 20/10/1994 में प्रकाशित@

'भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/7/95–बी सी सी दिनांक 24 मई 1995 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खंड 1 संख्या 88 दिनांक 25 मई 1995 में प्रकाशित@

'भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या12011/96/94–बी सी सी दिनांक 09 मार्च ,1996 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खंड 1 संख्या 60 दिनांक 11.03.1996 में प्रकाशित @

'भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या12011/44/96–बी सी सी दिनांक 06 दिसम्बर,1996 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खंड 1 संख्या 210 दिनांक 11.12.1996 में प्रकाशित @

'भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या12011/13/97–बी सी सी दिनांक 03/12/1997 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खंड 1 संख्या 239 दिनांक 17/12/ 1997 में प्रकाशित@

'भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या12011/99/94–बी सी सी दिनांक 11.12.1997 भारत के असाधरण राजपत्र भाग 1 खंड 1 संख्या 236 दिनांक 12.12.1997 में प्रकाशित@

'भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/68/98–बी सी सी दिनांक 27 अक्तूबर,1999 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खंड 1 संख्या 241 दिनांक 27/10/ 1999 में प्रकाशित@

'भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/88/98 बी सी सी दिनांक 06.12.99 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खंड 1 संख्या 270 दिनाक 06.12.1999 में प्रकाशित @

'भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/36/99 बीसीसी दिनाक 04.04.2000 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खंड 1 संख्या 71 दिनांक 04.04.2000 में प्रकाशित

'भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/44/99 बीसीसी दिनांक 21 सितम्बर 2000 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खण्ड 1 संख्या 210 दिनाक 21 सितम्बर 2000 में प्रकाशित @

'भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संकल्प संख्या 12015/9/2000 बीसीसी दिनांक 06 सितम्बर 2001 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खण्ड 1 संख्या 246 दिनांक 06 सितम्बर 2001 में प्रकाशित @

'भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/1/2001– बीसीसी दिनांक 19 जून 2003 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खण्ड 1 संख्या 151 दिनांक 20 जून 2003 में प्रकाशित @

'भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/4/2002– बीसीसी दिनांक 13 जनवरी 2004 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खण्ड 1 संख्या 9 दिनांक 13 जनवरी 2004में प्रकाशित @

'भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/9/2004– बीसीसी दिनांक 16 जनवरी 2006 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खण्ड 1 संख्या 10 दिनांक 6 जनवरी 2006 में प्रकाशित @

'भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/14/2004– बीसीसी दिनांक 12 मार्च 2007 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खण्ड 1 संख्या 67 दिनांक 12 मार्च 2007 में प्रकाशित @

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी' ....और/या 'उसका/उसकी 'परिवार सामान्य रूप से................................गांव/नगर' ....जिला/खंड'..............................राज्य/संघशासित क्षेत्र'........................जो............................निवास करता है

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93–स्थापना (एस सी टी) दिनांक 8/09/93, के कॉलम 3, कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004–प्रशासन (आरईएस) दिनांक 9/03/2004 और कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004–स्थापना (आरईएस) दिनांक 14/10/2008, में उल्लिखित (क्रीमीलेयर) व्यक्तियों/ समुदायों' से संबंधित नही है।

स्थान ....   हस्ताक्षर...................................

दिनांक ....   **पद का नाम............................

(कार्यालय मुहर के साथ)

'(जो लागू न हो वे शब्द काट दिए जाएं)

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त शब्द सामान्य रूप से निवासकर्ता है का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में निहित है।

** अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों की सूची अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के समान होगी ।

@ जो लागू न हो वे शब्द काट दिए जाएं ।

केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षर करने के लिए घोषणा

मैं, ...पुत्र / पुत्री...श्री / श्रीमती..निवासी..
.....गांव / कस्बा / शहर...जिला...राज्य...एतद् द्वारा घोशणा करता हूँ कि मैं ....
........................समुदाय से संबंध रखता हूँ जिसे भारत सरकार द्वारा आरक्षण के प्रयोजन से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012 / 22 / 93–एससीटी, दिनांक 08.09.1993 में निहित आदेशों के अनुसार एक पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यह भी घोषणा की जाती है कि मैं भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012 / 22 / 93–स्थापना (एस सी टी) दिनांक 8 / 09 / 93, की कॉलम 3, कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033 / 3 / 2004–प्रशासन (आरईएस) दिनांक 9 / 03 / 2004 और कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033 / 3 / 2004–स्थापना (आरईएस) दिनांक 14 / 10 / 2008 द्वारा संशोधित, में उल्लिखित (कीमीलेयर) व्यक्तियों / समुदायों' से संबंधित नही हूँ।

स्थान : ....

दिनांकः ....

आवेदक के हस्ताक्षर
(आवेदक द्वारा हस्ताक्षर नही किए गए
आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा)

अनुलग्नक –IV

भूतपूर्व सैनिक कोटे के अधीन सिविल पदों हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों द्वारा दी जाने वाली वचनबद्धता का प्रपत्र

मैं जानता हूं कि यदि भर्ती/परीक्षा जिसके बारे में मैंने आवेदन किया के आधार पर मेरा चयन हो जाता है तो मेरी नियुक्ति प्राधिकरण के समक्ष ऐसे संतुष्टीपरक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर होगी कि समय-समय पर संशोधित पूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवा तथा पदों पर पुनर्नियोजन) नियम 1979 में दी गई शर्तों के अनुसार मुझे सशस्त्र बल से विधिवत छोड़ दिया गया है/सेवामुक्त/कार्यमुक्त कर दिया गया है और यह कि मैं पूर्व सैनिकों को दिये जाने वाले हितलाभ के लिए पात्र हूं।

2. मैं यह भी जानता हूं कि मैं इस परीक्षा द्वारा पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर नियोजन के लिए पात्र नही रहूंगा यदि मैने इस नियुक्ति से पूर्व किसी भी समय सिविल सेवा (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्तशासी निकाय/सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक इत्यादि शामिल हैं) में भूतपूर्व सैनिको के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर इस छूट का प्रयोग करके कोई नियोजन प्राप्त किया हो।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम :.........................

स्थान ....

दिनांक ....

अनुलग्नक –v

स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र

(आवेदक द्वारा चिकित्सा परीक्षा पर पुनर्विचार की अपील के साथ प्रस्तुत किया जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... आयु .... वर्ष .... के आवेदक की .... अस्पताल द्वारा दिनांक .... को परीक्षा की गई ।

1. मैं अधोहस्ताक्षरी यह जानता हूं कि श्री ....को चिकित्सा अधिकारी द्वारा केऔसुब में......................................की वजह से आरक्षक(ट्रेड्समैन) (...) के पद के लिए ....के कारण चिकित्सा रूप से अयोग्य घोषित किया गया है ।

2. मेरी राय में यह निर्णय सही नहीं है ।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर और नाम

चिकित्सा परामर्शदाता की मोहर सहित

पंजीकरण संख्या..................

(एमसीआई/स्टेट मेडिकल कांउसिल)

पता...

....

....

.

अनुलग्नक –VI

कद या सीने की माप में छूट चाहने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी ....पुत्र/पुत्री, श्री .... गांव....................................... तहसील/तालुका.............................जिला.............................. के स्थायी निवासी हैं।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :-

(1) भारत के संघ के अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए कद और सीने की माप में छूट के लिए उल्लिखित सम्पूर्ण क्षेत्र के निवासी (गढ़वाली,कुमाऊंनी, डोगरा, मराठा, सिक्किमी) के रूप में जाने जाते हैं।

(2) वह हिमाचल प्रदेश/लेह और लद्दाख/कश्मीर घाटी/पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित है और उसके मामले में भारत के संघ के अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए कद और सीने में छूट देने पर विचार किया जाता है।

(3) वह ....जनजातीय समुदाय से संबंध रखता है और उसके मामले में भारत के संघ के अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए कद और सीने में छूट देने पर विचार किया जाता है।

स्थान :..
दिनांकः..

हस्ताक्षर ....
जिला मजिस्ट्रेट/उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

'जो लागू न हो उन्हें काट दें।

अनुलग्नक –**VII**

सरकारी विभागों/उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं अपने मुख्यालय/विभाग/मंत्रालय को लिखित में सूचित कर रहा हूँ कि मैने केऔसुब में आरक्षक/ट्रेड्समैन (जैसा मामला हो) के पद के लिए आवेदन किया है ।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर
नाम..

स्थान ....
दिनांक ....

अनुलग्नक –VIII

केऔसुब कार्मिकों सहित सरकारी विभागों/उपक्रमों के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि श्री...को केऔसुब में ....पद के लिए आवेदन करने पर इस विभाग/कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि

श्री .... को कोई दंड (बड़ा/छोटा) अब तक नहीं दिया गया है और इस विभाग/कार्यालय में पूरी सेवा के दौरान उनका कार्यनिष्पादन 'औसत' से उपर रहा है।

हस्ताक्षर..

(कार्यालयध्यक्ष/नियंत्रण
अधिकारी/इकाई कमांडर का
नाम और पदनाम)

स्थान ....
दिनांक ....

<u>अनुलग्नक –IX</u>

<u>**केऔसुब में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों/आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र का फार्म**</u>

प्रमाणित किया जाता है कि ....(अभ्यर्थी का नाम) केऔसुब संख्या .... पदनाम...................................नाम..के बच्चे/आश्रित/पति/पत्नी है जो केऔसुब इकाई...में तैनात हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक सेवारत कार्मिक के साथ रह रहा है । उसके बच्चे/पति/पत्नी/आश्रित के नाम को कार्मिक के सेवा रिकार्ड से जांच लिया गया है

इकाई प्रभारी के हस्ताक्षर

नाम..
पदनाम..
इकाई...
(कार्यालय की मुहर सहित)

स्थान ....
दिनांक ....

टिप्पणी : प्रमाण पत्र की एक प्रति सेवारत कार्मिक की व्यक्तिगत फाईल में रखी जानी चाहिए ।

डीएवीपी 19113/11/0006/1718